

[श्री राज भूषण विहार:]

समाचार से यह ज्ञात होता है कि माननीय श्री पुष्पबोसम कौशिक मंत्री, नाथूर विमानन एवं पर्वटन, भारत सरकार ने अपने तथा पद के सम्मान एवं मर्यादा को रक्षा के लिये तथा जन मानस से किसी प्रकार की भ्रान्ति न हो इसके लिये जी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आग्रह की थी, उसको मध्य प्रदेश की सरकार ने धत्वीकृत कर दिया है। इस प्रकाशित समाचार के अनुसार श्री संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति ने मंत्री महोदय के नाम का उपयोग कर बहुत सी धनराशि इकट्ठा करने का प्रयत्न किया था या इकट्ठा किया भी था, ऐसा अभियोग उस पर लगाया गया है। मामले की पुष्टि के लिए मंत्री महोदय के लेटरहेड आदि की चर्चा की गई है और यह भी कहा गया है कि अभियुक्त ने ऐसा वक्तव्य पुलिस को दिया था, जिस का उसने बाद में खण्डन किया, जिससे मंत्री महोदय के ऊपर कलक या लाछन की छाया पड़ती है। भारत सरकार के किसी मंत्री के ऊपर लाछन सारे सदन एवं देश के लिए विचारणीय विषय बन जाता है और अगर मंत्री महोदय ने स्वयं केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का सुझाव दिया था तो यह सरकार, सदन एवं हमारी परम्पराओं की गरिमा के अनुरूप था, जिसको प्रदेश की सरकार को अनिवार्यतः मान लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि सारा सदन मंत्री महोदय के सुझाव की सराहना करेगा और साथ ही साथ सरकार से आग्रह करेगा कि वह दृढ़ता पूर्वक मंत्री महोदय के सुझाव को मानने के लिए राज्य सरकार को सलाह दे। यह हम प्रसार से सार्वजनिक महत्व का विषय है अतः सरकार श्रीमद्भारत पर कोई वक्तव्य देकर स्थिति को साफ करे।

14.31 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1979-80—

Contd.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND
IRRIGATION—Contd.

श्री जगन्मोहन प्रसाद वर्मा (आगरा) उपाध्यक्ष
महोदय, मैं उस दिन बक्सर की हलकर सेटबक

परियोजना की चर्चा कर रहा था। यह परियोजना 107 किलोमीटर लम्बी, गंगा नदी के दाएँ छोर पर चल रही है। इस से 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुँचेगा। पाच वर्षों के अन्दर, यानी 1978 तक इस स्कीम को पूरा हो जाना चाहिए था, किन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक इस में एक चौथाई भी काम नहीं हो पाया है। इस इलाके को हर वर्ष बाढ़ से 40-45 करोड़ रुपये की क्षति होती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि एक-दो वर्षों के अन्दर इस को पूरा कर दे ताकि लोगों को भीष्म फायदा पहुँच सके और वहाँ काफी मात्रा में उपज हो सके।

इस इलाके में जहाँ बाढ़ बन रहा है, वहाँ सिंचाई का अभाव हो जाएगा। इसलिए सरकार से मेरा यह भी आग्रह है कि इस गंगा नदी में जो अबाह जल प्रवाहित हो रहा है उसका सदुपयोग किया जाए। बक्सर से कोइलबगर, फिर मनेर से पटना तक तटबन्ध बनाया जा रहा है। गंगा और रेलवे लाइन के बीच की भूमि में गंगा नदी से हाई पावर पंपिंग सेट लगा कर पानी लिया जा सकता है और वहाँ अच्छी सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए कोई समुचित और भीष्म व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फसल बीमा के बारे में कहना चाहता हूँ। जब तक फसल बीमा की योजना लागू नहीं होती है तब तक किसानों की अपार क्षति होती रहती है। इस वर्ष भी उत्तर भारत में धान, चना, ज्वार, मूँग के बर्षा बोले एवं साढ़ी से काफी क्षति हुई है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसानों को लाभ पहुँचाने का और क्या उपाय बच जाता है? यही उपाय है कि फसल बीमा लागू हो और किसानों को लाभ हो। धनोपार्जन के लिए कि केन्द्रीय सरकार, राज्य, सरकारों से इसके संबंध में बातचीत कर ली है। यह भी सुनी की बात है कि कुछ राज्य भी सरकारों से

में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सब्ज एवं सीमांत क्षेत्रों को द्वारा उगायी जाने वाली कपास की फसल बीमा बीजना बालू की गयी है और इसको बढ़ा लागू करने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट किये गये हैं। इस बीजना से 632 एकड़ क्षेत्र में लगभग 51 बांधों को लाभ पहुंच रहा है। इसी तरह सरकार से मैं यह भी आग्रह करना कि फसल बीमा को सारे देश में प्रतिष्ठीत लागू करे। यह भी खुशी की बात है कि 1978 के प्रथम 9 महीनों में लगभग साढ़े पाठ लाख पशुओं का बीमा किया गया है। यह उसाहर्षक बात है। लेकिन यह निम्न एक इलाके में, एक क्षेत्र में ही हुआ है। इस को सारे भारत में लागू करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बालू के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। वर्षा, लाही और और छोले के नामजुद इस देश में बालू की उल्लेखनीय उपज हुई है। बालू इतना सस्ता हो गया है कि किसानों का खर्च भी बुरा नहीं हो रहा है। उत्तरप्रदेश में बालू की कीमत 25 रुपये प्रति किन्टल, बिहार में 35 से 40 रुपये प्रति किन्टल, ईरानज हज्जाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 35 से 40 रुपये प्रति किन्टल है। किसानों की बालू की बीती में जो खर्च पड़ता है वह 50 रुपये से 55 रुपये है। उपाध्यक्ष महोदय बताइये कि बालू की बीती से किसान की क्या लाभ होगा? इस से उसे इतनी अति हो रही है कि वह बागे बालू की बीती करना नहीं चाहता है। बालू की सबसे से बचाने के लिये कोल्ड-स्टोरेज बाधियों जो कि भारत सरकार के कृषि विभाग के बिन्धे हैं?

मैं बिहार का उत्तरप्रदेश देता हूँ। जहाँ 1.5 कोल्ड-स्टोरेज हैं किसानों कीमत से 2 लाख टन बालू की है। बीती लगभग 4 लाख एकड़ में हो रही है। इन सब सम्बन्ध

18 से 20 लाख टन हुई है। जहाँ 3 लाख टन बालू रखने की क्षमता है वहाँ पचा हुआ है 20 लाख टन तो बताइये कहाँ रखा जायेगा? बालू सड़ना, और विविध रूप से सड़ रहा है। मेरा यह अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ उपाय करे। उपाय क्या हो सकते हैं? कोल्ड स्टोरेज बनवाने के लाइसेंस धड़ले से दिए जाये इससे सरकार को इसमें कोई क्षति नहीं होगी।

दूसरे, इस पर समर्थन मुख्य निर्धारित कीजिए। मुझे उस दिन सुनकर बहुत दुःख हुआ जिस दिन योजना की बैठक पर प्रधान मंत्री कह रहे थे कि अब समर्थन मुख्य अधिक नहीं बढ़ा जायेगा, उसकी कीमत अधिक नहीं बढ़ेगी। कारखानों द्वारा उत्पादित चीजों के मूल्य बढ़ गए हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन अन्तर्गत किसान द्वारा उत्पादित फसल की कीमतें घट रही हैं।

तीसरा उपाय है एम्सपट का। मेरा कहना है कि बालू का निर्यात कीजिए, इसकी बहुत देशों को जरूरत है। अभी आप बहुत बीबा ला निर्यात कर रहे हैं। एम्सपट के लिये प्राइवेट व्यापारियों की भी ठीक कीजिए, जैसे बीबी और बीबी की एम्सपट करना चाहें, उनको प्राप लाइसेंस की छूट दीजिए। अथवा एक एम्सपट का बिग बनाइये, जो ऐसी चीजों के निर्यात का बंधा प्रतिस्पर्धक करे।

इसकी कीमत जो मिल-भारिक किसानों को समय पर नहीं देते हैं, उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गुजर अंगरेजों जिन अभी स्वीकृत हुआ है? उसके अनुसार सरकार चाहती है कि किसानों को लाभ पहुंचाया जाये, लेकिन क्या इस एक्ट से किसानों को बुरा लाभ पहुंचाने का नहीं इस कानून के अन्तर्गत निम्न-निम्नियों को 10 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। अथवा 10

[श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा]

प्रतिशत तक किसानों का बाकी रहेगा तो सरकार उम पर कार्यवाही नहीं करेगी। मान लीजिए कि एक गुजर फैंक्टरी 1 करोड़ रुपये की ईंध खरीदना है, यदि वह 10 लाख रुपया किसानों का रख ले या समय पर नहीं दे तो आप कोई कार्यवाही उस पर नहीं करेंगे। क्या यह अन्याय नहीं है ?

अभी 2 अरब रुपया किसानों का फिल-मालिका के यहाँ बाकी है, यह क्या कम आश्चर्य की बात है ? दुख की बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिल है, उसमें किसानों को खर्चा अधिक पड़ता है जिन्हा कारण वह ईंध की खेती बन्द कर देना चाहते हैं वह दूसरे तरह को उपज करना चाहते हैं। मरा आग्रह है कि एक इन्टर बिल लाया, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और समय पर ईंध फायदा की कीमत मिल सक।

हम लोग गुजरात में गये थे कुछ सहकारी समितियों को दखने के लिये। वहाँ नियम यह है कि शाम को दूध बेचिए और सुबह पैसे ले लीजिए और सुबह दूध बेचिए, शाम को पैसे ले लीजिए। क्या ईंध उपजाने वाले किसानों में साथ यह नियम लागू नहीं हो सकता है ? क्या मिल मालिक इस तरह पैसा नहीं दे सकते हैं ? क्या सरकार इन्हें निश्चित समय पर कीमत चुकाने के लिए कार्यवाही नहीं करेगा ? सरकार को इस बारे में निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि किसानों का समय पर पैसा मिल सक।

राज्य में इन्डियन लक रिमर्च इस्टीमेट लाह के अनुसंधान के विषय में अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ जो अनुसंधान होता है, उससे वहाँ

पर लाह की खेती करने वाले छोटे लोगों, गिरिजना और आदिवासियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस अनुसंधान कार्य से उन्हें अपनी खेती का उत्थान करने में कोई सहायता नहीं मिल रही है। हम सरकार से यह आग्रह करेंगे कि ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे वे लोग इस अनुसंधान-कार्य में लाभ उठा सकें।

लाह के बाजार का कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे देशों का लाह हमारे देश की लाह की निम्नतः सस्ता है। इसलिए आई० सी० ए० आर० को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम खर्च में लाह का ज्यादा उत्पादन हो सक। उदाहरण के लिए थाईलैंड का लाह बहुत ही सस्ता है। हम अपने लाह का विदेशों में भेजते हैं, जबकि अपने यहाँ उसकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर उसका उपयोग नहीं हो पाता है। लाह के उपयोग रेलवे कोचिंग, जहाज, पेट, वारनिश विद्युत के सामान और खाद के कारखाने में हो सकता है। लेकिन सरकारी विभाग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह दूसरी चीजों का व्यवहार करते हैं जो ज्यादा महंगे हैं इसलिए सरकार से आग्रह है कि वह इस और ध्यान दे।

बलाल और मिडलमैन लाह की खेती करने वालों से लाह ले लेते हैं और बाजार में अधिक दाम पर बेचते हैं इसलिए सरकार का लाह की खेती करने वाले छोटे छोटे लोगों, आदिवासियों, को इन समस्याओं से मुक्त करार दिलाना चाहिए। यदि पुराने ढंग से काम हो तो छोड़नागपुर के आदिवासियों का कल्याण हो जायगा।

*SHRI A. K. SAHA (Vishnupur):
Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Government in its official report on the Ministry of Agriculture has

*The original speech was delivered in Bengali.

claimed that the production of foodgrains and appreciable crops have recorded an appreciable increase which will strengthen the economy of our country. It is not doubt true that a new record in food production has been established. During 1977-78, the country had produced 125.6 million tons of foodgrains and the Government is expecting to reach a higher figure during 1978-79. It must also be said that the Government have stopped the import of foodgrains and they are today having a big reserve of 19 million tons of foodgrains in stock. The Janata Government have professed that they would labour for the economic upliftment of the rural people and the rural economy. If it comes about it would be a very welcome thing but I do not find that they are really progressing in this direction with a pace as they ought to. I say this because despite the record food production in our country, the lot of the rural poor has not taken any turn for the better. Nearly 80 per cent of the population of our country live in villages and they depend on agriculture, if we analyse the reality of the situation then we will find that none of the rural poor has been benefited as result of this bumper crop because the life of the rural people and the rural economy is inextricably linked with system of land distribution. The 6th Plan document issued by the Government of India last year for the period 1978-83 frankly admits of many mistakes and fundamental failure of the past. The document has also tried to paint a rosy picture of the economic plight of the future but I have no hesitation to say that when it come to actual policies and programmes we are disappointed to find that this Government like the earlier Government is pursuing the traditional methods and their outlook continues to be more or less the same. There has been no radical change in the policies or the programmes of the Government to achieve the objectives of a bright and happy future for the country and as a result we find poverty

stagnation and inequalities are continuing unabated,

Mr. Deputy Speaker Sir, under the present budget the Government have imposed a levy of Rs. 665 crores out of this 90 per cent comprise of indirect taxation measures and Rs. 1300 crores is the deficit. Under these circumstances it need not be emphasised that the total tax burden of the year's budget will fall on the common man and this will have an adverse impact on the rural economy. The immediate result of this measure, in my opinion would be the increase in employment and the more and more rural people who were having a agricultural land and were dependent on agriculture for their living would be forced to sell their land and join the rank and file of the ever increasing number of landless agricultural labour. Indebtedness of the rural people will also increase. In fact, the whole peasantry in our country is groaning under the burden of indebtedness. During 1951-52 the Reserve Bank of India had made a survey of rural credit. At that time they had estimated the total debt burden of the rural people as Rs. 750 crores. Ten years later, in 1961-62 the Bank conducted another survey and found the extent of indebtedness to be Rs. 2400 crores. Although I do not have the latest figures I have no doubt that the magnitude of the problem continues to be the same. And according to some experts the figures by now must have reached the astronomical figures of Rs. 6000 crores. This by itself indicates how the rural people are being exploited by the moneylenders. On the one hand, the production of foodgrains has increased but on the other hand the burden of indebtedness has also increased. The net result of this phenomena is that the number of people who remain half-fed and under-nourished is increasing steadily and alarmingly too. The per capita consumption is less than half when compared to the percentage of consumption in other countries. We consume

[Shri A. K. Saha]

62 Kg per head per year as compared to 37 Kg for European countries, and 42 Kg. for American countries. Even with record production of food grains the per capita net availability of cereals and pulses in 1978 was 472.6 grams per day i.e. less than 480.2 grams recorded for 1965 and barely equal to 468.7 grams recorded for 1961. In other words today an average India is eating as much as he did 17 years ago and less than what he did 18 years ago. Despite a very good production of sugar this year we are consuming only 14 Kg. per head per year which is half the quantity consumed by the people of the other countries of the world. This is just one side of the picture. Let us now look to the other side of it. As I have already stated unemployment and indebtedness is increasing. But alongwith this the most depressing phenomena prevailing in the rural area is the ever growing concentration of the land in the hands of a few. According to economic survey report, whereas 30 years ago 5 per cent of the top land owners owned 35 per cent of the cultivable land today according to the agricultural census 4 per cent of big land owners still owned 31 per cent of cultivated land while 70 of the farmers own less than 1 acre of land. Perhaps more significant than the figures on land distribution are the figures of asset distribution which will also indicate that assets in rural areas are in the hands of a limited few which means that only a few are virtually controlling the strings of economy in the rural area. The Reserve Bank of India had conducted a study on this subject in 1971-72. According to the report the top 4 per cent of rural household had more than 50,000 of asset holdings. The top 10 per cent owned more than half of the total, and the bottom 20 per cent of rural household had less than Rs 1000 of asset holding which was only 1 per cent of the total rural assets. These figures simply prove how the rich is becoming richer and poor poorer in the rural area. Alongwith this con-

centration of economic power, poverty and unemployment are also mounting. According to one estimate, the number of those below poverty line increased from 230 million in 1960 to 250 million in 1970 and to 375 million in 1976. Even the 6th Plan documents admits that 200 million people of India are living below the poverty line of which 180 million are actually earning less than 75 per cent of the national poverty figures i.e. they are even failing to meet their bare physical survival needs. Even though the FCI and the Agricultural Price Commission fixed price of agricultural crops yet the benefit does not really reach the growers. These Government agencies are not able to make full purchase of the crop directly from the cultivators and as a result the middle men appear in the scene and they corner a good portion of the profit which ought to have gone to the cultivators. Today when the cultivator produces more he is punished because he has to sell his produce willy nilly at a much cheaper rate than the price fixed by the APC or the FCI. A little while ago an hon Member was saying that because of bumper crop, potato is selling for 30 to 40 P. per Kg. Similarly in West Bengal jute is selling for Rs. 50 as against the price of Rs. 178 per quintal fixed. Cotton is selling at Rs. 250 as against Rs. 400/-.

Obviously the middlemen are making a rich harvest of profits out of it. The cost of inputs like fertilizers, pesticides and diesel have over the years increased by 50 per cent, 40 per cent and 90 per cent respectively but their increases have not kept pace with the prices fixed by the Government for the different crops. The very cultivator when he goes to the market to buy things of daily needs he is astounded to find that every thing costs him very high. Thus the cultivators in India lose twice—when he sells his crops and when he buys his things of every day necessity from the market.

The answer to the malady referred to above lies in 'improvement'

radical land reform system. The Sixth Plan papers have also suggested it and I.L.O. team that visited India have the same opinion. The Deputy Prime Minister, Shri Charan Singh, recently addressing the farmers in Orissa stressed upon the villagers not to concentrate on land but to find out other means and thus ignored the question of land reforms. Unfortunately, the Janata Government in the Centre and also the Janata Government in the States are indifferent to the issue. The Orissa Government has in fact tried to set at naught the progress, however little made in this direction by trying to introduce per head ceiling of agricultural holdings. In 1969, the Mahalanobis Committee estimated that if the ceiling limit was fixed at 20 acres, 63 million acres of land would be available for distribution. According to the latest economic survey 4.6 million acres had been declared surplus which is about 1 per cent of the total cultivated land of the country. This clearly shows the commitment of this Government to land reform. As I have already stated, in Orissa and Gujarat, the Janata Governments have even moved backward and attempted to revive some of the relative progressive provisions of the existing Act.

Sir, I would now conclude by saying a few words about my State of West Bengal. This year as you all know, Sir, there was a devastating flood which we feel was because of the faulty planning of the Damodar Valley Project and the Lower Kanksabati Projects. Bankura which is my constituency, is a drought prone area and in order to mitigate the difficulties of the people particularly the agriculturists it was suggested that the Upper Kanksabati river project should be taken in all earnestness and completed early. Unfortunately only three sluice gates in Lower Kanksabati Project out of 7 sluice gates are under preparation and 4 more are yet to be made. I would therefore request the Minister for Agriculture that he should have a discussion with the Government of West Ben-

gal and make available to them the necessary funds to complete this project which will not only make Bankura a fertile land but also help to control floods in the State.

श्री अश्व प्रकाश त्याग (बहुतदह) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कृषि मंत्रालय और उस मंत्रालय के माननीय मंत्रियों को धन्यवाद देता हूँ—आज 32 वर्षों के पश्चात् किसानों की उन्नति और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति की चिन्ता उनके दिलों-दिमाग में है नवा उनमें प्रयास भी सरोहनीय है कि किस तरीके से सिंचाई को बढ़ावा दें, किस प्रकार से वे बीज की उन्नति के लिये प्रकलशील र और किस तरीके से काम के बदले अनाज की योजना बना कर उन्होंने देशांतरों में बेकारी और शरीरी को दूर करने की चेष्टा की। इसके साथ ही पैदावार को बढ़ाने के लिये जो नाना-प्रकार की योजनाएँ बालू की—उन सब के लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं प्राकटों में नहीं जाता, वार्षिक रिपोर्ट मेरे सामने है—जो बहुत प्रशंसनीय है।

मैं अभी महोदय से यह पूछना चाहता हूँ—क्या आपकी सब पूति हो गई है? किसानों के कल्याण के लिये आपने ये तमाम प्रयत्न किये—क्या किसान आपके इन प्रयत्नों के पश्चात् सुखी हैं? सौभाग्य से हमारे दोनों मंत्री कांस्तकार हैं, कांस्त की व्यवस्था को वे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनकी चेतावनी देना चाहता हूँ—किसान आज बड़ी ही दयनीय अवस्था में है। यदि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह बरबाद हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि आज कुछ पैदावार हो रही है लेकिन पैदावार का उचित मूल्य उसकी नहीं मिल रहा है और वह जगह-जगह भंडकरी कर रहा है, वहाँ तक कि उसकी सन्तति भी नहीं मिल रही है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ—छाब किसानों का, जहाँ 4 मघे से 7 मघे सिंचन एक-सिक रहा है, व्यवस्था के

[श्री आन प्रकाश त्यागी]

मिल-मालिको ने जानबूझ कर उसका गन्ना नहीं खरीदा, क्योंकि उस टाइम पर कुछ जगहों में चीनी 2 रुपये 15 पैसे क्विंटल पर बिक रही थी। किमान को ऐसी स्थिति में लकड़ी के भाव भी गन्ना देना पड़ा। लेकिन आज अचानक उस का दाम इतना बढ़ गया है।

एक मामल में सबसब आज लकड़ी भी बहुत महंगी है। 20 रुपये क्विंटल के ऊपर उसका दाम है।

श्री आन प्रकाश त्यागी: उधर आप यह देखिये कि चीनी के दाम अचानक 3 रुपये प्रति किलो हो गये और इस तरह में मिल-मालिकों ने लूट शुरू कर दी है और आज वे माल-माल हो रहे हैं। लाखों रुपये का उन्होंने मुनाफ़ा कमा लिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक यह परिवर्तन क्यों आया है? इसमें मिल-मालिकों और खाण्ड-सारी वालों का कौन सा पड़यत्न है जो आज चीनी तीन रुपये प्रति किलो बिक रही है।

अब मैं गुड पर आता हूँ। इस दश में किसानों ने गुड बनाया और पहले उनको उसमें लाभ हुआ था लेकिन जब गुड बनाया तो तमाम फसल के दिनों में गुड 16 रुपये मन बाजार में मिलता रहा और अब जब कि गुड की पैदावार बन्द हो गई, तो 52 रुपये मन के हिसाब से वह बिकने लगा और व्यापारी एक ही रात में लब्धपति हो गये। यह नीति क्या है, यह मैं जानना चाहूँगा। आप आलू को ही ले लें। इस बार लाखों टन आलू पैदा हुआ है, और मेरे घर में ही 6 हज़ार मन आलू पैदा हुआ है और मेरी सब्जी में नहीं आ रहा है कि हम उसका क्या करें। बाजार में जाते हैं तो उसकी लागत नहीं मिलती और कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए जाते हैं ताकि बाद में वह मिल जाए, तो कोल्ड स्टोरेज में जब कि एक बोरी पर, एक क्विंटल पर

सरकारी रेट 13 रुपये है, तो उस पर 8 रुपये और ब्लैक में के रहे हैं और उनके यहाँ भी आलू रखने के लिए जगह नहीं है। इस प्रकार से 20, 22 रुपये की बोरी और उसकी लागत आ गई है। इतना खर्च करने के बाद क्या हमें बाद में इतना दाम मिलेगा, यह पता नहीं है।

यही गेहूँ की स्थिति है इस देश में और वह इधर उधर मारा-मारा फिर रहा है। उम सम्बन्ध में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और अगर सरकार किसानों की कोई सहायता करना चाहती है, तो वह समय पर उनकी सहायता क्यों नहीं करती। पिछली बार भी आप ने कुछ छूट खाण्डसारी वालों को एकसाइज ड्यूटी वगैरह में दी थी जिसमें कुछ फायदा किसानों को हो सके लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय पर नीति में परिवर्तन न होने के कारण किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। अगर आपको किसानों की कोई सहायता करनी है, तो समय पर सहायता कीजिये। मेरा जो अनुभव है, उस के आधार पर मैं सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य क्यों नहीं मिलता और उनको अपनी लागत भी नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों है? मैं समझता हूँ कि इसका एकमात्र तरीका अगर कोई है, तो वह आपका प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है जो यह तमाम पड़यत्न कर रहा है और वह इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि जो खेती से पैदा होने वाली वस्तुएं हैं, उनमें महंगाई न बढ़े और वह सोचता है कि किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों को कैसे गिराया जाए। उसका एक मात्र लक्ष्य यही है। औद्योगिक क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुओं के साथ कितने ही बड़े कारखाने और उनकी लागत के ऊपर उद्योगपतियों की बाढ़ें किसता ही लागू हो जाए, इस पर वह

ध्यान नहीं देता है। वह चाहता है कि उनको ज्यादा लाभ मिल जाए लेकिन किसानों से द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं को और उसका कोई ध्यान नहीं है और इसी कारण यह परिणाम हमारे सामने आया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग कमीशन हमारी गवर्नमेंट की पालसी हमारी पार्टी के प्रस्ताव, हमारे मैनीफेस्टो के खिलाफ आचरण कर रहा है। इसको रोका जाना चाहिए। उसको अगर सरकार ने नहीं रोका और अपनी नीति में सुधार नहीं किया, तो आपका जो लक्ष्य किसानों को फायदा पहुंचाना था है, वह भी पूरा नहीं होगा। इस सरकार का, हमारी पार्टी का प्रस्ताव था—

"Government should take all necessary measures to fix agricultural prices according to the principle of parity, that is maintenance of balance between the prices received and the prices paid by farmers"

इतना ही नहीं, हमारे मैनीफेस्टो में यह भी है। हमारी पार्टी ने यह भी घोषणा की थी कि —

"The farmers must get remunerative price based on a principle of parity that balances the prices at which he sells his produce and the price he pays for the goods he buys. If the rural sector is to grow and flourish it must be accorded favourable terms of trade as a matter of overall national policy. The farmer must be assured of inputs at reasonable prices"

पहले उपाध्यक्ष महोदय, बकसिया इसके संबंध में विवरीत हैं। मैं आपके सामने आंकड़ों की स्थिति है, जो ग्राहसिज में इन्वोल्वेड है, उसके बारे में दो-चार बातें कहना चाहूंगा। हमारे यहां गेहूं की कीमत है 134 9, वहीं दिल्ली-अर किसानों की मिलाता है 175 9

पर। तम्बाकू का दाम है 137 4 और ग्रा-ज्जन्ट का दाम है 142.8 जब कि इलेक्ट्रिसिटी 207 4 पर मिलती है। इसी तरीके से पेड़ी 157 4 और पावर 252 0। इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र की सभी वस्तुओं के दाम आकाश को छू रहे हैं और जो चीजें कारगर पैदा करना है उसका उसकी लागत का भी मूल्य नहीं मिलता है। इस बारे में गवर्नमेंट पालिसी चेज करे।

उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से सरकार के आफिसर्स इनके साथ नान-कायाप्रेत कर रहे हैं, इनका सहयोग नहीं करते हैं, षडयंत्र रच रहे हैं। मुझे आनन्द डेयरी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है और उनके लिये मैंने नोटिस दी है—

Is it a fact that the Indian Ambassador in Copenhagen has brought to the notice of the Government that there was an attempt by foreign personnel working under United Nations in India to purloin the design of the bulk milk vending machine invented by NDDB and successfully running in Delhi?

Is it also a fact that as a result of the enquiries conducted one UN official was removed from Bombay and the other Mr. Westerdun was transferred from India?

Is Government aware of the fact that Mr. Westerdun came to India again and met those officers in Kralhi Bhavan who were carrying on propaganda against Operation Flood Scheme and the National Dairy Development Board?

And if so, what action government propose to take against such officers in the ministry of Agriculture who are trying to sabotage the Ministry's own scheme?"

[श्री श्रीम प्रकाश श्यामी]

मैं धन्यता हूँ कि मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुओं के मूल्य में और कृषि क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुओं के मूल्यों में बहुत बड़ा अन्तर चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय जहाँ 1971 से औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं के मूल्य 80 प्रतिशत बढ़ गये हैं वहाँ वेई के मूल्य से 1970-71 के 76 रुपये प्रति किबंटल के मुकाबले में मामूली वृद्धि हुई है। उसका मूल्य आजकल 110 या 115 रुपये प्रति किबंटल है। औद्योगिक वस्तुओं के अनुपात में वेई का मूल्य आजकल 140.60 रुपये होना चाहिए। यह डिस्पैरिटी क्यों है। सरकार की औद्योगिक वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के समूहों में प्रेडिटी मेक्रेन करनी चाहिए। लेकिन आज 120 और 115 रुपये हैं। इसमें प्रेडिटी कहाँ है? यह प्रेडिटी क्रेडिट नहीं है।

इस समय देहात के लोगों की स्थिति क्या बन गई है, मैं इसके बारे में आकरें देना चाहता हूँ। कृषि उत्पादन से कुल आय क्या है? यह 20,000 करोड़ की है और अनुमानित जन-जनका 125.8 मिलियन है और प्रति व्यक्ति आय 5 रुपये 72 पैसे है। इसकी तुलना में मैं जानकी लक्ष्मण चण्डिका की कहती लोगों की आय की क्या स्थिति है।

जी मजदूर है, कर्मीर है बी० एंड टी० बर्कसाप, बम्बई में, उसकी प्रति वाकिर प्रतिदिन आय है 13.33। रेलवे बर्कसाप, बम्बई में 15.93, मेकनसाइड में एक एंड बम्बई में 17.13, पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज, बंगलूर में 24.10 और एनावर पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज एंड

बंगलूर में 22.80 है। इस प्रकार से 24 रुपये तक प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आय है और गाँव में काम करने वाले साइली की आय 5 रुपये प्रतिदिन है। इसी डिस्पैरिटी इस देश में चल रही है, इसे कौन रोकेगा गवर्नमेन्ट के आलावा? मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस डिस्पैरिटी को रोकने की कोशिश की जाये।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे कमीशन के फैसले देरी से होते हैं। आज किसान की फसल, गेहूँ कट रहा है। आज तक किसान को पता नहीं है कि सरकार किस प्राइस पर उनका गेहूँ खरीवने के लिये तैयार है, सप्लाय प्राइस क्या है। क्या मुझे भी जानूँ प्रताप सिंह और श्री बरदाला जी यह बताये कि आज तक वह कितनी खरी नहीं एनाउन्स की गई? आपकी तमाम चीजों की स्थिति यह है कि आप देरी में करते हैं।

मेरा सुझाव है कि जब किसान फसल खेती है, इस समय खाने अपनी सप्लाय प्राइस कीवारे कीवारे। किसान को फसल प्राइस देना, तो वह बोयेगा, नहीं तो नहीं बोयेगा। लेकिन जब खाने के लिये की बात आती है तब आप उस सप्लाय पर प्राइस कोऑर्डिनेट करते हैं, जब कि किसान अपनी फसल को खाना होता है। आप किस कीमत तय करेंगे तो किसान क्या करेगा? क्या वह अपनी फसल को सप्लाय में फेंक दियेगा? मेरा कहना यह है कि फसलकार के लिये इनके बहुत कोई योजना नहीं है कि हमारे पास चीनी या गेहूँ क्या है, मत बोना। मैं चाहता हूँ कि कृषि क्षेत्रों में प्राथमिकता दें कि वह इस प्रकार करने। मुझे पता चलता है कि उन्होंने

कहा है कि हम सरीसों प्राइस तब करेंगे, लेकिन हमने यहाँ यथेष्ट बंधार है, हम खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह प्राइवेट डिजनेशन-मैन को बलबल करने कि तुम खरीदो क्योंकि सरकार के पास वेहू रखने के लिये बंधार नहीं है। इस तरीके से इन्होंने किसान को, बंगल में बड़ा कर दिया है।

मैं मुसाम देना चाहता हूँ कि सुरक्षित प्लाजिग कमीशन का रबिन्स बेंज कीजिये और फलज होने के समय पर ही आप अपनी लपोटें प्राइस बंधित कीजिये ताकि किसान लाभधान रहें।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इन्होंने खरीद के केन्द्र कहीं कहीं ऐसी बगह रखे हैं जहाँ किसान का नहीं सकता है और वह बिजनेस मैन की ही स्थिति की मजदूर होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि खरीद के केन्द्र ऐसी जगह पर बनाने चाहें कि 5, 7 मील के फामने पर किसान अपनी बीबाबार देखें।

बंधार की व्यवस्था इसके साथ नहीं है, 360. कालेज कहा बिजनेस मैन से इनकी किता है, मैं मुसाम चाहता हूँ कि सरकार बंधार नहीं करे बल्कि इसी देहातो में ? हर गांव और देहात में बंधार होना चाहिये, लेकिन सरकार बंधार मधुरी में बनाने की कोशिश कर रही है। लकीर बंधार बनाने-कलन की रख लकी। बाकि वे अपना उत्पादन बचने पर मजबूर हैं, अर्थात् उनके पास रखने की सम्मति नहीं है। जो किसान वे हैं, और जब बाजार बंधार होगा तो वे अपने उत्पादन को बेच देंगे।

सरकार ने बीबाबार की है कि समुक्त

समुक्त स्थानों पर बंधार बनाये जा रहे हैं। हमारे यहाँ बंधार और बीबाबार के बंधार बन रहे हैं, अगर क्या बंधारिय में वेहू बीबा नहीं होता है ? क्या बंधारिय बिना नहीं है ? मेरी कास्टोडियन बंधारिय है। बीच मूल से बंधार हैं कि हमारे यहाँ बंधार नहीं नहीं बनना जा रहा है। जो मनु प्रत्यक्ष बिंदु यहाँ के रखने वाले हैं, अगर कता नहीं हमारी जेबका कंसे हो गई है।

बीबाबार बरण सिंह ने बहुत ही कृपा करके डीजल पर से कुछ इमुटी कम कर दी है, लेकिन हाई स्पीड डीजल की इमुटी को कम नहीं किया गया है। उनका कहना है कि हाई स्पीड डीजल ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल होता है। अगर वह ट्रेक्टरों और अन्य सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है। मेरी बीबाबार साथ से बात-चीत हुई, और उन्होंने कहा कि पम्प सेक्टर में लो स्पीड डीजल इस्तेमाल होता है। इस क्षेत्र में 25 लाख पम्प सेक्टर हैं, जिन के लिए हाई स्पीड डीजल की आवश्यकता होती है। मेरा मुसाम है कि सरकार बीबाबार की तरह बहुत भी कृपण सिस्टम चलाने। वह कार्पोरेशन की कृपण दे और उन के माधम से उन्हें उपनिवेशीक रेट पर हाई स्पीड डीजल देने की व्यवस्था करे।

1

जब तक निषीत की व्यवस्था बीबाबार नहीं किया जायेगा, तब तक किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। अन्य किसानों के मामले के दुखिबखी से निषीत नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ वे जो औद्योगिक बंधुओं बाहर जाते हैं, उन पर तो सरकार सम्मति देती है, लेकिन जिन खाद्य पदार्थों का निषीत होता है, उन पर एक्जोर्ट इमुटी जवाई जाती है। ऐसा नहीं होता है ?

[श्री श्रीम प्रकाश त्यागी]

खाद्य पदार्थों के निर्वात में भी सबसिडी दी जानी चाहिए। सरकार यहाँ पर सिन्थेटिक फाइबर लाई और उसने कपास को चौपट कर दिया। वह यहाँ पर इतना अधिक मात्रा में तैल लाई है कि तिलहन बीने वाले और तैल के व्यापारी तथा मिल-मालिक सब चौपट हो गये हैं। मालूम होता है कि कृषि मंत्री और व्यापार मंत्री ने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँ कि काश्तकार अपनी खेती के लिए जिन इनपुट्स का इस्तेमाल करता है, वह उन सब पर से तमाम एक्साइज इयूटी माफ कराये, ताकि किसान जो वस्तुमें खरीदता है उन की और उसकी फसल की कीमत में वैरिटी हो सके।

मंत्री महोदय जानते हैं कि किसानों के पास होल्डिंग्स बहुत थोड़ी रह गई हैं और इस लिए अब बड़े ट्रैक्टर से काम नहीं चल सकता है। बुर्खान से ट्रैक्टर की कीमत अमेरिका में कम है और हिन्दुस्तान में ज्यादा है। यह स्थिति गवर्नमेंट की एक्साइज इयूटी के कारण है, जिस की वजह से यहाँ पर ट्रैक्टर की कीमत बड़ी हुई है। मैं निवेदन करूँगा कि काश्तकार के हित उसके इस्तेमाल में जाने वाली चीजों पर से एक्साइज इयूटी को कम किया जाये, ताकि हमारे देश में खेती को प्रोत्साहन मिल सके।

SHRI V. ARUNACHALAM ALIAS 'ALADI ARUNA' (Tirunelveli): Sir, I would like to say a few words on the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigation placed before the House by the Hon. Minister for Agriculture.

There is no difference of opinion

about the record of achievement in foodgrains production. Our hard-working farmers have opened an era of surplus in foodgrains. The entire country is indebted to them for their relentless service and remarkable successes. This is the first time in our history that we have not imported even a modicum of foodgrain from other countries. Our production in the agricultural sector reached the stage of take-off astounding the developing countries and even the socialist nations.

Because of this unparalleled record in production, the consumers are widely benefited. Because of this achievement the rural economy has changed. Because of this achievement, we see peace and calmness in urban life. Because of this success, the party in power is reaping the political harvest in bye-elections. All are complacent and even comfortable except the farmers who tilled the lands with sweat and tears and heed the crops bearing sun-strokes.

If we compare the meagre income and poor standard of living of the farmers with the other sections of the people in our society, then we can realise their deplorable state of affairs. According to the latest figures available, the total number of farmers in India are 146.5 million. Their average income per year is Rs. 3000. In other words, the average income of a farmer per day is Rs. 8.20 which is less than the minimum wage of any section of workers in our country.

We are boastfully claiming that India is a major agricultural power. But here the life and income of the farmer is worse than that of any other section of the people in the nation. The most alarming factor is that the number of people below the poverty line in rural area is increasing. It has gone up from 55.3 per cent in 1960-61 to 62.9 per cent in 1978-79. It is as if its ugly head in this year also.

If we take the farmers norm, the number of people below the poverty line has gone up from 28 per cent to 42.8 per cent. Despite the increased production, improved methods and institutional methods and facilities, the growth has not been accompanied by social justice.

With care and caution if we analyse the pathology of poverty among the farmers, we will find that one of the empirical causes for this position is unremunerative price for their products. The support price fixed by the Government does not even equalise the cost of production and other expenses.

In fixing the support price for the agricultural products the methodology adopted by this Government is corrosive and obsolete. The capability of the consumer is mostly preferred rather than the cost of production, transport charges and interest met by the farmers.

In spite of repeated demands from the entire south to fix equal price for paddy and wheat, the Centre is still refusing to accept equal price for paddy and wheat. Still it is giving false reason to the entire nation. Still it is adamant not to enforce the principle of parity. This House may be kept informed that the price of rice is far lower in India than in any other rice producing countries in the world. If we take the year 1970-71 as the base year the price of rice in 1976-77 in Indonesia was 173. South Korea 183, Philippines 187, Thailand 218. Sri Lanka 237 and in India it was 117. We welcome the sale of food grains at reduced rate but not at the expense of poor farmers.

Owing to the non-availability of air-conditioned storage facilities and Government agency facilities, there is steep fall in the prices of vegetables like potatoes, onions and carrots. Sir, the small farmers with the limited sources of water, are accustomed to

cultivating their vegetables. Now, the price of the vegetables has hit the lives of the small farmers.

The position of sugarcane growers is far from satisfactory. The sugar mills are becoming sick units which are not able to give fair price to the farmers. While the Government introduced decontrol in sugar supply, it failed to protect the interest of the sugarcane growers. Now, most of the sugar mills are running in loss. Unless the Government take adequate measures against the loss, there will be serious consequences of decline in production. So, the responsibility of the Government now is to help the sugar mills. But what is the pitiable state is that even in helping sick units, this Government is following the policy of discrimination. It is reported that this Government has granted a loan of Rs. 20 crores to sick mills in Uttar Pradesh. But, at the same time, in spite of the repeated demand from the Tamil Nadu Government, the Central Government refuses to give a loan to the tune of Rs. 10 crores to the sugar mills in Tamil Nadu. We are not able to understand this policy of the Government.

The rationale of remunerative price for agricultural products has been realised by all people but we notice that there is some reluctance in implementing it.

The hon. Minister may defend the policy of the Government by explaining how this Government has increased the support price for the agricultural products as compared to what was being paid by the previous Government. Here I would like to remind the hon. Minister that even though the support price fixed by the previous Government was low, the open market price in those days was attractive and remunerative. Now, due to the increased production following two successful monsoons, the open market price is very often less than the support price. Therefore, the farmers are forced to fight against

[Shri V. Arunachalam]

the erroneous policy of this Government. Fortunately for this Government, the farmers are mostly scattered and least organised. The levianthan is still sleeping. When it wakes up, I remind you, Sir, the entire country will be disturbed.

The House may agree with me that the exports of agricultural products are deemed essential for preventing price crash and for sustaining the tempo of production. The production of rice, oil seeds, groundnuts and cotton increased by 26 per cent, 14.2 per cent, 15.4 per cent and 21.6 per cent respectively. The rasping factor is that there is no corresponding increase in export of these products. The most alarming factor is, contrary to our expectations, the Government have reduced the quantum of export. In the year 1976-77, the export earning from important agricultural products was Rs. 1,144 crores. But, in the year 1977-78, despite the increased output, the earnings declined to Rs. 828 crores. The restrictive export policy of this Government has not only reduced the export earning, but has also caused a heavy depression in the open market prices, thus adversely affecting the farmers.

Affected by the imprudent and unwise policy of this Government, the farmers in some of the States have come to the streets to fight against the Governments of the States, which can in no way be held responsible for this state of affairs. In Tamil Nadu some of the farmers have refused to repay the co-operative loans. They have also refused to remit the electricity charges. In Tamil Nadu the kisan leaders have called for a no-tax campaign. The volcano of economic discontent will soon begin to burst forth with turbulence. The State Governments are forced to face the trouble for the faults and obnoxious policies pursued by the Centre.

Before I conclude my speech, it will be appropriate if I remind the

maxim of Mahatma Gandhi to this Government "where agriculture is not profitable, life itself cannot be profitable". I appeal to the hon. Minister not to be a party to disrespecting this maxim. If this Government fails to realise this maxim, and operates against the interests of the farmers, I remind you, Sir, the consequences will be serious and catastrophic in future.

प्रो० शिवनलाल सक्सेना (महाराजगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सन् 1930 से चीनी के उद्योग से, उनके मजदूरो की समस्याओं से और किसानों से सम्बन्धित हूँ। उत्तर प्रदेश में सन् 1937 में 73 चीनी मिलें थी और आज 80 हैं। भारे देश की चीनी मिलों की तीन चौथाई पहले उत्तर प्रदेश में थी और अब एक चौथाई रह गई है। वही हाल बिहार का भी है। बिहार में 37 चीनी मिलें थी और अब करीब उतनी ही है जबकि सारे देश में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 300 के करीब हो गई है। इस में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, करीब-करीब पूरे उत्तर भारत में चीनी मिलों के साथ अन्याय किया गया है।

15.30 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BADH
in the Chair]

एक सुगर-केन-रिसर्च सेंटर कोयम्बतूर में 1950 में बनाया गया था, वही एक सेंटर है जो गन्ने में रिसर्च करता है और स्पेशलाइज्ड तरीके से गन्ना पैदा करता है। उत्तर भारत में ऐसा कोई सेंटर नहीं बनाया गया। करीब तीन बार सात हुए देवरिया में एक रिसर्च स्टेशन बनाने की कोशिश की गई, उस के निम्ने बाधदा किया गया लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बार

साल शुगर गये उत्तरिस्चं स्टेशन को बनाने में कोई प्रगति नहीं हुई है, वहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ—कि उत्तर भारत में जहाँ भाज भी सारे हिन्दुस्तान की भाँजी चीनी पैदा होती है, जब कि पहले तीन-चौबार्ह होती थी, वहाँ पर शुगर केन रिस्चं स्टेशन अभी तक क्यों नहीं बनाया गया। देवरिया के रिस्चं स्टेशन को शीघ्र पूरा पूरा किया जाय।

पिछले 50 सालों में उत्तर भारत में गन्ने से चीनी की रिकवरी बजाय बढ़ने के घटी है। सन 1937 में यह रिकवरी 10 परसेन्ट थी, लेकिन अब 9 परसेन्ट रह गई है। जब कि दक्षिण में यह 11 परसेन्ट से बढ़ कर 13 परसेन्ट हो गई है। यह ठीक है कि अभी भी बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से फार्मों में रिकवरी 13 परसेन्ट आती है, लेकिन उधर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है—रिकवरी को बढ़ाने की तरफ कोई प्रयास नहीं होता है। ये सब ऐसे काम हैं जिन से पैदावार बढ़ सकती है और किसानों को भी फायदा हो सकता है, साथ ही कन्स्यूमर को भी लाभ पहुँच सकता है मैं आपसे कहना चाहता हूँ—यदि इस तरफ शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो उत्तर भारत के किसानों और बहू की चीनी मिलों की हालत और ज्यादा खराब हो जायगी।

कुछ दिन हुए गवर्नमेन्ट की तरफ से एक नया विद्या सभा का, शायद 1970 में दिया गया था कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना, 1970 में आ गया, लगभग 10 साल हो गये, न उन का राष्ट्रीयकरण हुआ और नहीं यह कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। अब

से सरकार की तरफ से राष्ट्रीयकरण की पालिसी का ऐलान किया गया है, प्राइवेट चीनी मिलवालों ने अपनी मिलों में इन्वेस्टमेन्ट करना बन्द कर दिया, नतीजा यह हुआ कि वे बिलकुल जक बन गई है। वहाँ चीनी पैदा करने में रिकवरी भी कम आती है और पैदावार भी कम होती है। मैं चाहता हूँ कि सरकार साफ-साफ कहे—कि हम नेशनलाइजेशन करेगे और साथ ही उन का नेशनलाइजेशन कर दिया जाय, अन्यथा साफ-साफ ऐलान कर दिया जाय कि हम नेशनलाइजेशन नहीं करेगे। अगर मामले को फाइनलाइज कर दिया जाय और ऐलान कर दिया जाय कि नेशनलाइजेशन नहीं होगा तो बहुत से मिलवाले उन में इन्वेस्टमेन्ट कर के उन मिलों को सुधार सकेंगे, इस से किसानों को भी फायदा होगा और मजदूरों को भी फायदा होगा।

चीनी के साथ-साथ खण्डसारी का कामवाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। खण्डसारी विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इण्डस्ट्री है, लेकिन उस की हालत बहुत बुरी है। यह बीबिच-काटेज-इण्डस्ट्री के बाद देश की सब से बड़ी काटेज इण्डस्ट्री है, लेकिन हालत बहुत खराब है। महात्मा जी ने कहा था कि जो खाण्डसारी है, वह खानी चाहिए और खूबर जो है वह पायजन है लेकिन खाण्डसारी के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह बहुत खराब है। मैं चाहता हूँ कि इस की तरफ ध्यान दिया जाए और खाण्डसारी पर से टैक्सों को हटा देना चाहिए और इस को तराजब देना चाहिए।

गैहू और चावल हमारे देश की मुख्य पैदावार है। अब तो हमारे देश में ऐसे बीज पैदा कर लिये गये हैं जिन से 50, 60 और 70 अन्न तक क्षेत्रों

[श्री शिवबल लाल (बसेना)]

के अन्दर पैदावार कर सकते हैं। इन बीजों को निकले हुए कई साल हो गये हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। धाज एबरेज ईल्ड धान की जो है, वह बहुत कम है। यह बेजा बात है। यह बहुत आवश्यक है कि जो इम्प्रूव्ड वेराटीज सीड्स की हैं उन को तेजी के साथ हम फैलाएं, जिस से सारे हिन्दुस्तान के अन्दर पैदावार बढ़े और गांवों के किसानों को फायदा हो।

हम सब लोग परेशान हैं कि किलोबा जी अन्नशन करने जा रहे हैं गौरक्षा के लिए। हमारे देश में यद्यपि सब से बड़ी संख्या गायों की और केटल की हैं लेकिन उन की हालत बहुत दर्दनाक है। डेयरी इम्प्रूवमेंट, केटल इम्प्रूवमेंट कोई नहीं हुआ है। हमारे देश में जहां गायों की पूजा होती है, वहां पर वह हालत हो, मैं समझता हूँ कि यह बड़ी दर्दनाक बात है। इस के ऊपर सब से ज्यादा चर्चा होना चाहिए। कैंटल रिसर्व होना चाहिए और गायों के लिए पास्चर लैंड होने चाहिए और उनके सुधारने का काम होना चाहिए और उनके लिए प्रज्जे कोबर का भी इन्तजाम होना चाहिए। धाज तो हम यह देखते हैं कि पास्चर लैंड नहीं रह गये हैं और सारे के सारे पास्चर जलम कर दिखे गये हैं और वहां पर सिकान खेती करते हैं। ऐसा कोई इन्तजाम नहीं है कि पास्चर लैंड हों। मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि गांवों के अन्दर सरकार की ओर से कुछ लैंड पास्चर के लिए छोड़ी जाए जिस से अबेसी वहां पर चर सकें।

अब तो जहां देखो, वहां बाय ही पीने को मिलती है। धाज कहीं चले

जाए, धाज को बाय मिलेगी और दूध नहीं मिलेगा। मैं बाय नहीं पीता और दूध मिलता नहीं है। इस देश में जहां बाय की पूजा हो, वहां दूध न मिले, यह बहुत ही शर्म की बात है। एक तो गाय है नहीं और जो हैं बी, तो उनसे ज्यादा दूध नहीं मिलता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिस से बच्चों को दूध मिल सके और इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि हमारे जो 11, 12, 13 और 14 साल के बच्चे हैं, उन को कुछ दूध तो कम से कम पीने को मिल सके। इस के लिए सरकार की ओर से प्रबन्ध किया जाए। तभी यह संभव है कि गायों की देखभाल की जा सके। उन के चरने के लिए पास्चर लैंड छोड़ी जानी चाहिए।

हमारे यहां लकड़ी ज्यादा नहीं है। गन्ना तो फिर भी 12 रुपये क्वींटल मिल जाता है लेकिन लकड़ी 16 रुपये और 20 रुपये क्वींटल मिलती है। यह बड़े अफसोस की बात है। हमारे यहां फोरेस्ट की इतनी कमी है लेकिन फिर भी उन को बुरी तरह से काटा जा रहा है जिस की बहज से लकड़ी का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि फोरेस्ट्स के बारे में एक नीति निर्धारित की जाए जिस से लकड़ी का सवाल हल हो सके। फोरेस्ट्स के काटने से और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बाढ़ इसी का एक भयंकर परिणाम है, जिस से देश को बहुत नुकसान होता है। मैं चाहता हूँ कि फोरेस्ट की तरफ विशेष ध्यान दिया जायें।

देहरादून में हमारी एक 'फोरेस्ट रिसर्व इंस्टीच्यूट' संस्था है। यह एक बहुत बड़ी संस्था है। इस संस्था पर विशेष ध्यान दे कर इस का महत्व और बढ़ावा करें और इसे पूरी दुनिया की एक 'वैद्वीय

संस्था बनाया जाए। इस ने अब तक बहुत ही शानदार काम किया है।

हमारे देश में गन्ने का काफी धंधारा है। इसकी मुक्त प्रवृत्ति है। लेकिन हमारे यहां कितना गन्ने का नुस्ताना होता है? हमारे यहां स्टोरेज का पूरा इंतजाम नहीं है। मैं जब पब्लिक ग्रन्थर-टेकिंग कमेटी का मेम्बर था तो कमेटी ने एक. सी. आई. की पूरी जांच की थी। उस जांच की वजह से पता चला कि गन्ने का कितना नुकसान इस संस्था के द्वारा होता है। गन्ने का स्टोरेज में नुकसान होता है, वर्षा में नुकसान होता है। गन्ना धीम कर सड़ जाता है। वह हानत एक. सी. आई. में है। इसलिए एक. सी. आई. की तरफ विशेष ध्यान दिया जाने चाहिए और जो नुकसान उसके द्वारा होता है उसको रोका जाने।

एग्रीकल्चर इस देश का सब से बड़ा व्यवसाय है लेकिन इसकी रिसर्च पर जितना खर्च होना चाहिए उतना खर्च नहीं होता है। हम आई. सी. ए. आर. पर तो कुछ बर्खा खर्च करते हैं लेकिन इसके मुकाबले में दूसरे जैनों की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पर हम बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। एग्रीकल्चर की रिसर्च में हम बहुत कम खर्चा करते हैं। मैं तीन डिग्री कालेज चला रहा हूँ और मैंने उनमें एग्रीकल्चर विषय को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी को एम्पाई किया था कि इन कालेजों को सम्बद्धता दी जावे लेकिन फण्ड की कमी की वजह से इस बात की परमीशन नहीं दी गयी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में रिसर्च के लिए और इसे कालेजों में पढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को ज्यादा खर्चा दे जिससे कि इसकी और प्रगति बढ़ाई हो सके। हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर का बहुत महत्व है इसलिए इस के बारे में पूरा ध्यान दिया जावे।

फण्ड हमारे लिये एक बाधिका है हमने अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं बनायी जिन के कि इनको रोका जा सके। हमारे यहां सभी नदियां नेपाल से निकल कर आती हैं और नेपाल सरकार हमारे साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रही है। 1955 में राष्ट्रीय नदी के कंट्रोल के लिए जलकुण्डी परियोजना बनी थी लेकिन नेपाल सरकार से अब तक इस के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका है। इसी तरह से करनाली प्रोजेक्ट पर भी कुछ नहीं किया गया है। इनको 25 साल बीत गये हैं बाढ़ों से हमारे यहां बड़ी क्षति होती है। सरकार इन पर विशेष ध्यान देंगे और नेपाल से मांग की जावे कि वह इस बारे में सहयोग करे।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ।

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor):
Mr. Chairman, Sir, the Annual Report of the Ministry has claimed a very satisfactory position in regard to agricultural production. It has claimed that a new peak has been achieved in food grains production. I do not dispute the claims of increased production of commercial crops as well as foodgrains. But this alone is not the picture of agriculture in our country today. There is another picture which shows some disturbing trends. I want to refer to that.

Very serious imbalances have emerged in the agricultural sector. Unless effective remedial measures are taken without further delay, these imbalances are likely to result in serious shortage of essential commodities creating distress to a vast number of people, particularly, the weaker sections of the cultivators, the small and marginal farmers.

[Shri P. K. Kodiyar]

Now, one of the shortages relates to commercial crops, more specially cotton and oilseeds which together constitute the bulk of the commercial crops in our country. The recent increase in foodgrains production has been largely achieved at the cost of the commercial crops, that is, more and more land under commercial crops has been diverted to food crops. As a result of this though the growth rate of production of commercial crops has just maintained, the growth rate of total agricultural production has fallen. While the growth rate of production from 1949-50 to 1964-65 was of the order of 3.6 per cent per annum, with the advent of high-yielding varieties and the consequent diversion of land from commercial crops to food crops, the growth rate of production from 1964-65 to 1970-71 has fallen to 3 per cent per annum and during 1976-77, it has further fallen to 2.1 per cent.

Apart from the imbalance between the foodgrains crops and the commercial crops, another significant shortage appearing within the foodgrains basket is in respect of pulses. As in the case of commercial crops, the profitable cereal crops like wheat have been taking away land under pulses. Within the cereal basket itself, the imbalance have emerged between the growth rate of production of superior cereals, like, wheat and the growth rate of production of inferior cereals, like, jowar, bajra and ragi. For example, from 1960-61 to 1972-73, whereas the wheat production increased by 13.4 per cent per annum, that of bajra increased by 3.46 per cent only and that of jowar just increased by 0.88 per cent. The cultivation of inferior cereals, like, jowar, bajra and ragi, as you know, is mostly done by small and marginal farmers and that too in the arid and semi-arid areas in our country, in almost wholly unirrigated areas.

Within the superior cereals also, the imbalance has appeared between the growth rate of production of wheat and the growth rate of production of rice. From 1960-61, the rice production increased by 2.9 per cent whereas the wheat production increased by 13.54 per cent. If you take another aspect of our cultivation, we can find that only about one-third of the area under rice has got irrigation facilities whereas nearly three-fourths or 80 per cent of the area under wheat has irrigation facilities. Since the rice crop requires a vast amount of water or a particular water level, there is a margin of risk involved in rice cultivation due to droughts and floods. Therefore, a vast area of about 23 million hectares of rice cultivation where irrigation facilities are very little continues to be one of the most vulnerable areas in agricultural production.

Now, if you take another aspect, i.e. the geographical distribution of growth, you can see that the growth is concentrated in a few areas or a few regions. Broadly speaking, the disturbing aspect of our agricultural production is that while wheat dominated areas are marching ahead, areas dominated by cereals like rice and lower cereal crops are lagging behind.

Now, within the wheat growing region itself, there are imbalances. Punjab recorded an average production of 2,201 k.g. per hectare while Uttar Pradesh recorded only 993 kilograms per hectare. Now if you take the rice producing areas, Tamilnadu and Andhra Pradesh account for one-sixth of the rice producing area in the whole country. Together they account for 40 per cent of the total production of rice. On the other extreme are the rice-growing States in the eastern region like West Bengal, Orissa, Bihar, the eastern part of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh which together account for 60 per cent of the area under rice cultivation. Their share in increased rice production is only marginal.

If you take irrigation also, you see this kind of imbalances. In certain States like Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh etc., two-thirds of the total areas is under canal irrigation. But, on the other hand, vast areas in the central part of the country aggregating 44 per cent of the total area under cultivation, are hardly covered by any canal system. While 61 per cent of the holdings in Punjab are wholly irrigated, in Madhya Pradesh only 4 per cent of the holdings and in Maharashtra only 3 per cent of the holdings are wholly irrigated.

These are the disturbing imbalances that have emerged in our agricultural production. Therefore, Government has to pay attention to these imbalances. And as I have pointed out at the very outset, unless effective steps are taken these imbalances are likely to create more problems.

Now, increased production has been claimed by Government, and nobody disputes it. But, increased production for whose benefit? Who have benefited from this increased production? A handful of rich persons, a hand-ful of landlords, big traders and speculators have profitted. The vast majority of the agricultural population, particularly the working peasantry, the small and marginal farmers have been denied the benefit of increased agricultural production.

The other day the Hon. Prime Minister was saying that remunerative price is always a controversial issue and there could be not agreement as to that what should be the quantum of remunerative price. Now, what I want to ask is whether even the floor price or support price or procurement price which the Government has fixed is available to the farmers.

It is not a fact that a vast number of our farmers, after the harvest, are forced to sell their produce at throw-away prices? That is because they are not able to withhold their produce, waiting for the price to in-

crease. They have to sell their produce immediately, get the cash and meet their other requirements. Therefore, what is happening today is that the agricultural population, the farmers, in our country are subjected to a double exploitation. That is, they have to sell their produce at throw-away prices. Also, while the prices of agricultural produce are falling down, the prices of industrial products are either stabilised or going up. That is why, I say that they are doubly exploited--as producers and as buyers. Unless this situation is drastically changed, I do not think that the farmers of our country can get any benefit.

One example is the sugar price. The price sugar has gone up, recently, from Rs. 2.60 to more than Rs. 3 per kg. The reason was this. There was an inadequate release of quota of sugar from the sugar mills. The sugar mills have formed a Steering Committee. It is the Steering Committee which decides the quota to be released, and for the month of April they have deliberately reduced the quantum of sugar with a view to create shortage and thus increase the price. That is what the Steering Committee has done. And what is this Government doing? I should say that this Government has been responsible for this. This cannot shirk their responsibility here because this Steering Committee consists of representatives of not only consists sugar mills but also co-operative sugar mills as well as State sector sugar mills.

I want to mention only one more point, and that is about rural development. One of the basic defects of rural development is that this Government is trying to effect rural development without bringing about any structural changes in the agrarian relations. Without breaking the concentration of land, without effectively implementing land reforms and without wiping out the exploitative relations that exist in agriculture in the rural areas, I do not think that the rural development programmes can be successfully implemented.

[Shri P. K. Kodiyan]

Another defect is that nowhere is the rural development programme sought to be implemented with the active participation of the real beneficiaries, that is, the weaker sections: the agricultural workers; small farmers, etc. Therefore, I request the Government to give a high priority to the problem of implementation of land reforms and also to participation of the real beneficiaries in the formulation and implementation of the rural programmes.

With these words, I conclude.

16 hours.

MR. CHAIRMAN: Shri Gananath Pradhan—not here. Shri Iqbal Singh Dhillon.

SHRI IQBAL SINGH DHILLON (Jullundur): I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation.

Although we have executed the target of 120 million tonnes of food-grains and we have also produced enough of commercial crops like onions, potatoes; jute, cotton, etc. I want to inquire from the Government whether the farmers are the beneficiaries in increasing the production? Sugar cane is lying in the fields and there was a news two days ago that in Punjab the Navshahar Co-operative Sugar Mills and the Jagjit Sugar Mills, Phagwara have refused to buy sugar cane because they say that it is at a fermented stage. What will be the plight of the farmers—you please imagine. They have been waiting to sell their cane and they were standing in line for two days. The temperature is very high and some fermentation is there. Mills refuse to buy the cane. In UP last year most of the area could not be harvested and some dejected farmers burnt their crop and the same condition is prevailing this year also.

In potatoes the same story is there. Our aim is to get things for the consumers at proper prices and the far-

mers should get a remunerative price for their crop. We boast we have increased the production of potatoes from 7 million to 9 million tonnes. If you go to the rural areas of Punjab and Haryana, you will find people there are not going to dig out the potatoes because the cost of digging is much more than the price it will fetch. In UP and West Bengal we are hearing that all the cold storages are full and in the market there is no buyer because there is more production. Even gunny bags are not available. The cost of the gunny bag is Rs. 5 and potato is being sold at Rs. 8-10 a bag but the producer has to supply the bag. This is the poor plight.

So, I would say that the Government has totally failed in its duty to give any support price not only for potatoes but I would say even for tobacco, sugar cane, foodgrains, and other vegetables.

I want to make one observation. In order to give support price to the farmer and to make it more effective, we must modernise the markets in the country. By modernisation of markets, I mean there should be mechanical graders, there should be mechanical dehydrators, there should be hydro-meters to check the moisture percentage of the grains and the grains should be properly graded and the grains should be properly brought in a desired dried condition. There should be huge storage space near the markets in order to avoid loss in transit and losses reduced to the minimum. Modernised markets equipped with sufficient storage space and other upto date and modern facilities are the need of the hour.

It would be only then that the buyers, may be the Food Corporation of India, may be the State Agencies or may be the Coop agencies, would be able to buy the produce in a standard form, in a graded form. For the perishable and semi-perishable commodities, we have to implement

the processing system. Marketing is most essential for perishable and semi-perishable commodities like potatoes, onion, fruit; etc. Unless marketing of potato, etc. is not made the integration part by strengthening the processing facilities, it would be difficult to develop production on economic side. I shall enquire from the hon. Minister for Agriculture as to whether he has ever considered setting up of the one Potato Board, when the country is producing eleven million tonnes of potato. This Board should be empowered to conduct the research work to carry on the development work. It will consider the domestic consumption as also how much potato surpluses could be exported and in which form it could be exported. Whether in original form or some desired processed form. There are many different processing plant for potatoes. At present the following steps could be taken:

(i) Buy surplus produce and convert it into dry product (dehydrated form). It can be stored in ordinary stores. Chats (small tubes) cut and green tubes should be converted into cattle feed and microbial proteins;

(ii) after potato season say May onward, the dehydrated product can be converted into commercial forms like granules, flour, etc.

(iii) consumption stage. Flour can be converted into commercial used on breakfast table, just like corn-flakes, white oats, Saboodana—just like 'kheer', potato starch in the shape of farina

In Daurala Regional Potato Farm (U.P.) the National Warehousing Corporation has constructed a country store for keeping potato and they keep the potato in store for two months. The charges are hardly from Rs. 1/- to Rs. 2/- for two months. In the lean period when most of the stock is absent, at least for these two to three months the

country store could be properly utilised and we can meet the demand of potato for two months. To meet the demands from July onwards till October-November, we should have refrigerated cold-storage system. Our refrigerated system is very costly these days. Although State Governments have tried to have some control over these cold storage rates, in Punjab they have fixed at Rs. 11.50 per bag; similarly, in Haryana, from the last year; they have, by an Ordinance, imposed a ceiling of Rs. 10.50 per bag whereas, if you come to Delhi, you can see the cold storage people in the market charging Rs. 20 per bag. I have also come to know that in West Bengal, the rates are more than Rs. 18 to 20/-; in Maharashtra the rate is Rs. 20. I appreciate the steps taken by some State Governments. But, have we ever thought about the running of cold storage? What is the cost of it? Sir, I have practical experience as I am running cold-storage for the last twenty years. I know the cost for electricity that we have to pay; I know what the labour costs are; I know what the cost of ammonia Freon gas is; also I know what the cost of machinery is, I know what the cost of material is—such as steel, timber etc. All their costs have gone up by two times within the last two years. As a practical man I would say that by charging at the rate of Rs. 10 and 11 a bag the owners of cold storage will not be in a position to have any good earning. It would only be nominal and it won't fetch a good profit. I wish we increase the production of foodgrains, agricultural crops and other vegetables. I also wish the Second Flood Scheme of milk which is for five years fulfils its purpose

I wish it should increase from 27 million tonnes to 35 million tonnes a year. But have we considered how can this scheme be affected? I will take first of all milk. At present cow milk is selling at a very cheap rate and we are also importing

[Shri Iqbal Singh Dhillon]

dry skimmed milk from outside. If we go on importing dry skimmed milk will it be possible to encourage farmers to have cow stocks? Will we be able to improve the indigenous cow breed Sabarwal and Red Sondhi? We will be able to gradually replace the buffalo which is not so economical. I doubt if we go on importing the dry skimmed milk and if we go on paying more for the buffalo milk we will be able to encourage the farmer to have improved cow herds. This policy would not work. We have to give encouragement to the people to have cow herds. We should give encouragement so that they should have hybrid cows—crossed breed. We should encourage the farmers to grow more vegetables. But this can be done only if we have a National Horticulture and Vegetable Processing Corporation which should know the total production of fruits in Northern India, North-Eastern Region, in the Southern Region, position of garden crops, that is, fruit vegetables, etc. The excess quantity of this produce should be processed in time, de-hydrated and exported and for export purpose we should know the taste of the importing countries. So, we should proceed on a long-term basis rather on ad-hoc basis. This year the production of potatoes is more and, as such, we have allowed export. Next year the farmers will get discouraged and production will be less and then we will ban the export. Last year, at the end of the year one million tonnes of potatoes were lying in the cold storage which could not be used and those were moved from northern India to Bengal, from Bengal to Maharashtra and from Maharashtra to sea for dumping but we kept ban on export of potatoes and onions. So, are we making proper use of our production? Although our Gross national income has increased more than 48,000 crores out of it 47 per cent, was earned from agricultural sector—yet I fear the net income of the farmers has not increased, I will give one example

from Punjab. Sir, about eighteen years back we used to produce 12 lakh bales of cotton. Now we are producing 22 lakh bales of cotton.

The income of the farmers then was more than what they get now, although we are producing 22 lakh bales. In order to enforce remunerative price, I feel that the administrative and the official machinery policy maker should not be consulted in fixing the support price and for its implementation. Rather, Parliament and Legislature alone should do it by legislative enactment. This support price has to be fixed in consultation with the actual growers. You can have people from the universities who have conducted extension work, who are working from laboratories to the field projects. Then only, Sir, it would be possible to give effective and remunerative price to the farmers and in this way we will be able to help the farmers.

I will now say a word about the tax structure on the inputs. It is a healthy measure and it is a good announcement that has been made, saying that the excise duty on fertilisers are reduced. But Sir, the excise duty on agricultural machinery, fuel and pesticides is the same. There is great need to reduce them also. Are we really interested in reducing the price of agricultural commodities? That is the question. Or, are we really interested in increasing the prices of factory and industrial commodities? Sir, everything is being done to help the factory production. The cost of a tractor is nearly 60,000 to 70,000 rupees.

Since my time is over I will say only one point now. This is regarding the Capital Gains Tax on agricultural land. The position here is this. When lands are taken over or acquired by the Government without the consent of the farmers. These people are deprived of their land. They do not want to part with their lands, but those people are punished both ways, by the capital gains tax on acquisition of land and deprivation of land. By these forcible

actions taken by the Government the farmers are being ruined and deprived of their land. I wish that the whole tax structure is reviewed. When ceiling on land has been imposed, is there any idea of imposing Wealth Tax on the land? That is what I would like to know. With these words I conclude my speech

*श्री बीरुभाई गामित (माण्डवी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि व सिंचाई मंत्रालय की 1979-80 की माँग पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपने भाषण में विशेष रूप से ग्राम विकास, कृषि विकास तथा खेत-मजदूरों और आदिवासी व हरिजनों तथा किसानों के विकास, उनकी समस्याओं आदि पर अपने विचार और सुझाव आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ।

भारत छः लाख गांवों से बना हुआ एक खेती-प्रधान देश है। इसकी कुलजनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है। इनमें से 80 प्रतिशत लोग खेतीबाड़ी करते हैं। इसलिए यदि हम भारत के ग्रामीण क्षेत्र और कृषि अर्थतन्त्र का बहुमुखी विकास करेंगे तो हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या की हालत में सुधार होगा और देश समृद्ध होगा। इसमें कोई शका नहीं है।

अध्यक्ष जी, हमारे देश की स्वतन्त्रता के बाद, उसके विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्रयास किये गये। लेकिन, माननीय अध्यक्ष जी, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्ष तथा नियोजित विकास के 28 वर्ष के बाद, आज गरीबी और गरीब तथा शहर और गांवों के बीच असंतुलन बढ़ता ही गया है। इसके फलस्वरूप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी और बेरोजगारी से कुचले जा रहे हैं, जिस के कारण हमारे देश का विकास नहीं हो पाया है। इस प्रकार असंतुलन, गरीबी और बेरोजगारी देश के विकास में रुकावट बन गई है।

इसके साथ ही शहरों में समृद्ध और साधनविहीन दो वर्ग मौजूद हैं। उसी प्रकार गांवों में भी धनिकों और साधनविहीन लोगों के दो वर्ग हैं अब तक कृषि और ग्राम विकास का लाभ गांवों के धनिक किसानों को ही मिला है, जबकि इन योजनाओं का अधिकारिक लाभ इस क्षेत्र के छोटे व सीमान्त किसानों, भूमिहीन खेत मजदूर, हरिजन, आदिवासी आदि पिछड़े वर्गों को ही देना अत्यन्त आवश्यक था। किन्तु वे लोग ग्रामीण कार्यक्रमों से वंचित रह गये।

इस बजट को प्रस्तुत करने से पहले और प्रस्तुत करते समय, बजट को किसानों और गांवों का दिखाने का डोल पीटा गया। लेकिन समूचे देश में सामान्य जनता के द्वारा और अधिकारों ने बजट पर जो आलोचना की है उससे साफ हो गया है कि यह बजट गांवों तथा किसानों का हित करने वाला नहीं है।

हमारे देश में धनिक किसान, केवल 4 प्रतिशत ही हैं लेकिन उनके पास कुल भूमि का 31 प्रतिशत भाग है। उनक हित के लिए बजट में अनेक सुविधाएं दी गई हैं, किन्तु देश के छोटे व सीमान्त किसान, जिनकी गिनती कुल संख्या का करीब 70 प्रतिशत है, उनके पास कुल भूमि का 21 प्रतिशत ही है।

4.75 करोड़ भूमिहीन खेतमजदूर हैं, उनका आर्थिक व सामाजिक विकास तेजी से करने के लिए बजट में कोई विशेष, कारगर कार्यक्रम तथा धनराशि का प्रबंध नहीं किया गया है। आज तक गांवों में रहने वाले छोटे किसान, खेतमजदूर आदिवासी हरिजन आदि को जिस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है।

यदि ग्रामीण विकास और किसानों के विकास के नाम पर इन धनिक किसानों को ही लाभ दिया गया तो गांवों के गरीब तबक के लोगों की हालत और खराब हो जायेगी।

[श्री छोःू भाई गामिन]

में गरीबी और बेरोजगारी से कभी भी नहीं छूट पाएंगे। देश की स्वतंत्रता के तीस वर्ष के बाद भी गांवों के गरीब लोगों को स्वतंत्रता-पूर्वक रोजगार चुनकर, आत्म के गुजारा करने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो ये लोग अब और अधिक समय तक शांति और धैर्य से बैठे नहीं रहेंगे। कृषि मंत्रालय के इस बजट में इस गरीब वर्ग की उन्नति का कोई ध्यानातक दिखाई नहीं देता। इससे समूचे ग्रामीण क्षेत्र में किस नो और खेल-मजदूरी के बीच बार-बार संघर्ष होते रहे हैं। बड़े किसानों ने हरिजन और आदिवासी लोगों की शोषणों जलाई हैं, इस प्रकार की कई बाधाएँ हुई हैं, जो वास्तव में कुख्यात हैं। यदि हम इस संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं, तो छोटे व सोमान्त किसान, हरिजन तथा आदिवासियों के विकास के लिए कोई ठोस व कारगर कदम उठाने होंगे। गांवों का विकास आवश्यक है। इसके लिए भूमि का असंतुलित बंटवारा मिटाना होगा। जब तक यह नहीं होता तब तक गांवों की गरीबी और बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे देश में भूमि का जो अलगा बंटवारा है, उसे समाप्त करने के लिए भूमि-सुधार तथा भूमि सीमा संबंधी कानूनों को तेजी से व सख्ती से लागू करना होगा। यदि वे लागू नहीं होंगे, तो गांवों के छोटे व सोमान्त किसान तथा बड़े किसान, सब में तथा गरीब हरिजनों एवं आदिवासियों के बीच जो असंतुलन है, वह कभी समाप्त नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जबसे जनता पार्टी ने शासन सम्भाला है, विशेष रूप से मैं गुजरात के संबंध में कह रहा हूँ—गुजरात में जबसे जनता पार्टी शासन में आई है तबसे उसने, भूमि सीमा संबंधी कानूनों को उठाकर त्राक पर ही रख दिया है। हमारे गुजरात में कांग्रेस सरकारने भूमि सीमा और पट्टेबारी

के संबंध में क्रांतिकारी कानून बनाये थे, बाद में जनता सरकार ने सत्ता में आकर भूमि सुधार के नाम पर भूमि आयोग का गठन किया और उन कानूनों को ताक पर रख दिया जो कुख्यात हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे गुजरात में जो भूमि सीमा के संबंध में क्रांतिकारी कानून बनाये गये हैं, उन पर सख्ती से सीमा प्रयत्न कराये और वहाँ की जनता सरकार को रोकें जो उन कानूनों को नाकामयाब करने के प्रयास कर रही है।

ग्राम प्रदेश के एक प्रत्यूव नरेश की हजाराएँ एकड़ भूमि, भूमि सीमा कानून से प्रत्यक्ष रूप से के लिए केंद्रीय सरकार ने एक उच्च पदासीन व्यक्ति के द्वारा प्रयास किये गये थे। वह मामला कुछ समय पहले सारे देश के लोगों और सबबारी में चर्चा का विषय बना था।

इन उदाहरणों से पता चलता है कि जनता सरकार भूमि के असंतुलित बंटवारे को समाप्त करने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए जो कार्रवाई गंभीरतापूर्वक करनी चाहिए, नहीं करती है।

यदि हम अपने देश में वास्तव में कृषि व ग्राम विकास करना चाहते हैं, तो निम्न कार्यक्रम, की ओर सरकार को ध्यान देना होगा—

1. कृषि विकास कार्यक्रमों के द्वारा ग्राम विकास

कृषि विकास, ग्राम विकास कार्यक्रमों में अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए कृषि विकास के कार्यक्रमों पर तेजी से प्रयत्न करना होगा। कृषि विकास से ही ग्रामीण क्षेत्रों की भाई आय बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि गांवों में रहने वाले 80 प्रतिशत लोग कृषि का व्यवसाय ही करते हैं।

सिंचाई के लिए सख्त कार्यक्रम लागू करना चाहिए। वर्षों के बड़े हुए पानी का संयोज

करने के लिए समूचे देश का मास्टर-प्लान तैयार करते तालाबों तथा छोटे बड़े बांधों का निर्माण करना चाहिए।

किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिलना चाहिए। कृषि व अन्य ज़रूरतों के लिए किसानों को उचित समय पर 2 से 4 प्रतिशत की मामूली ब्याज की दर से पर्याप्त ऋण मिलना चाहिए। किसानों को जब तक कम ब्याज की दर से ऋण नहीं मिलेगा, तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं हो सकेगा। किसानों को धाज सहकारी बैंकों से जो ऋण मिलता है, उसके लिए 10 से 14 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। इसके स्थान पर कम ब्याज की दर से ऋण मिलना चाहिए ताकि निधन किसानों को पूरा पूरा लाभ मिल सके।

2. पशु पालन व रा विकास

गावों की उन्नति करने और रोजगार बढ़ाने के लिए पशुपालन का काफी महत्व है, क्योंकि गावों में कृषि के साथ ही पशुपालन एक पूरक व्यवसाय है। गावों में रहने वाले कमजोर आर्थिक स्थिति के छोटे व सीमान्त किसान, खेत-मजदूर, ग्रामीण कारीगर तथा अन्य बेरोजगार लोगों को इससे लाभकारी रोजगार प्राप्त हो सकेगा। गुजरात का अनुभव है कि जहाँ डेयरियों का विकास हुआ है, जैसे मेहसाणा, सूरत, भागवद आदि स्थानों पर, इसके कारण वहाँ के ग्रामीण लोगों को अच्छी आय प्राप्त हुई है।

इन व्यवसायों के लिए सहकारी दूध समितियों का गठन करना चाहिए। सदस्यों को दूध का पशु खरीदने के लिए मामूली ब्याज की दर से ऋण और सहजता देनी चाहिए।

गावों से डेयरी मूल्यामयों तक दूध ले जाने के लिए बाँध के मार्गों को तुरन्त पक्का करना जरूरी है। इसके लिए सरकार को कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए।

∴ ग्राम विकास तथा रोजगार के लिए खादी प्रमोशन व कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों का महत्व

किसानों को अपनी उत्पादित चीजों का उचित मूल्य नहीं मिलता है क्योंकि कृषि के उत्पादित चीजों का उपयोग करने वाले उद्योग अभी तक गावों से बहुत कम हैं। ये उद्योग गावों के विकास में उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए चावल की मिले, आयाल मिले, विभिन्न प्रकार की कृषि से उत्पादित चीजों पर जो रूपान्तरित करने वाले उद्योग हैं, उसका निर्माण करके, उसका विकास करना चाहिए। इस प्रकार के उद्योगों का विकास हमारे देश में नहीं हुआ है फलस्वरूप किसानों को अपने उत्पादों का वह मूल्य नहीं मिलता जो मिलना चाहिए।

खेत-उत्पाद तथा खादी प्रमोशन आदि का हम जितना अधिक विकास करेंगे उतना ही किसानों को खेती के साथ-साथ अधिक रोजगार तथा उचित मूल्य मिलेगा। गावों में जो बेरोजगारी है, वह दूर होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपना भाषण, माननीय मंत्री महोदय से यह अंतिम निवेदन करके समाप्त करूँगा।

धाज सरकार द्वारा "काम के बबले घनाज" जो योजना चलाई जा रही है, उसमें सार्वजनिक विकास के लिए रास्ते, तालाब आदि निर्माण के कार्य किये जाते हैं तथा बबले में घनाज दिया जाता है। इसके साथ ही गावों में रहने वाले आदिवासियों और हरिजनों के लिए आवास-निर्माण के प्रयत्न किये जाएँ, तो अधिक अच्छा होगा।

*SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan): Mr. Chairman Sir, our country is primarily an agricultural country and because of that our Ministers and most of our leaders address the farmers at the time of taking votes. But today when we

[Shri Raj Krishna Dawn]

are discussing the demands of the Agriculture Ministry and discussing about the conditions of the farmers who constitute 85 per cent of our entire population and this country virtually belongs to them, at this time we see that only a handful of officers and the Chairman and the Minister and a few other members are present in the House who hope for getting a chance to speak. All others have left. This only shows the extent of our real concern for the farmers of our country. If it is published in the press, then we will not be able to show our faces outside. Sir, we have seen that if some atrocities are committed on factory workers then the answers are given either by the Minister of Labour or the Minister for Industries. If there are disturbances in the University Campus and if some students die then the Education Minister answers the charges. The Defence Minister answers for disturbances in the Defence Services. But if atrocities are committed on the farmers or agricultural workers who constitute 85 per cent of our population or if there is firing on them then who answers for them? It is not the Minister of Agriculture but the Home Minister who generally answers for an assortment of subjects. Our Constitution also does not spell out the responsibility for their protection. This calls for an amendment in our Constitution. Steps must be taken at the earliest to look after those millions of people who actually own this country. Therefore I will say that if atrocities are committed on the farmers, the Minister of Agriculture should come forward to attend to it and he should take the responsibility. Today they are not getting proper price for their potato crop, the agriculture Minister should look into it. The poor farmers depended on him while producing the crop with their blood. Before I take up the struggle before the farmers take up the struggle, Mr. Barnala should take it up. The poor farmers who are under his charge, are not getting proper price for their produce, they are in distress and looking up to him for relief.

He will have to take up the struggle against George Fernandes who is purchasing jute at a cheap price from the farmers and re-selling it to them at an exorbitant price. I will come to that later. Although this country belongs to the farmers, a few intellectuals in the cities are ruling this country through the power of their intellect. The result has been complete misery in the villages.

Sir, the rationing system was introduced in the British days, but for long 32 years we have seen who have got the benefit from this system. It is the city dwellers, the urban people who have benefited. I belong to West Bengal and I have experience of that State. Ration is distributed there at three urban centres only viz., Calcutta, Asansol and Durgapur. There is of course a reason for this. The reason is that the urban people can take up cudgels against the Government. They can agitate strongly and can warn the Government, that unless their demands are met the Government will be removed from power and the Government is afraid of them. Therefore to appease and please the city people, the farmers are forced to part with their produce (rice) at a nominal price of Rs. 77 a quintal whereas the cost of producing that comes to Rs. 125 a quintal. The farmers are threatened with guns, they are put behind the bars and their produce is snatched away from them against their will. This is what we have witnessed in 30 years of Congress rule. But this year we have seen a good development for the first time. Sir, the Agricultural Prices Commission had recommended a price of Rs. 32 per quintal for paddy, but the Government have gone beyond that and have decided upon a higher price of Rs. 85 per quintal. Even this is not wholly remunerative but the Central and Shri Barnala certainly deserves our thanks for fixing a price higher than that recommended by the A.P.C. Sir last year our gross national income was Rs. 78012 crores of rupees. About 55 percent of this comes from agriculture. But it is a matter of reg-

ret that last year this income from agriculture had fallen by Rs. 5000 crores. The reason is that farmers have received lower price for their produce. Only a few days ago our Minister for Steel, Shri Biju Patnaik announced in the Lok Sabha an increase in the price of steel by Rs. 400 a tonne, with one stroke of his pen. This was done because he has to nurse a public undertaking which is nothing but a white elephant. Every year a huge amount has to be spent to nurse this public undertaking and the rural people are being taxed to meet that expenditure. In this city the bus services are subsidised, in Calcutta the tram services are subsidised. All these subsidies are given for pleasing the city dwellers, the organised workers who can form unions and take up cudgels and challenge the existence of the Government and for that the poor Kanai Santhals and Hari Bauris in the villages are taxed who will perhaps never come to the cities to enjoy a bus ride or a tram ride. The village people are paying through their nose to sustain the city people. Sir, I come from West Bengal. Do you know what the farmers are called in West Bengal? The two terms are very common. One is progressive and the other is reactionary—who are called the progressive minded? Those who get fat salaries and get plenty of bribes in service, those who have no connection with land, those who can buy Hilsa fish at 25 rupees a kilo, those can afford superior rice at 4 rupees a kilo, those who buy milk at 4 rupees a kilo, those who can take their wives to the movies every evening, they are called the progressives. Who are called the reactionaries in West Bengal? Those people who grow their own vegetables, eat coarse rice grown in their own fields, drink milk from their own domestic cows, get fish from their own ponds, they are the reactionaries and are called 'Jotedars'. If the hard toiling farmers are defamed and looked down upon in this manner and if the bigger farmers are called 'kulaks' and efforts are made

to create a climate of hatred against them, then I do not see how any improvement in the field of agriculture can be effected in this country which is primarily agricultural. This situation cannot be allowed to exist. A few rogues in the cities are exploiting and ruling over this country through the power of their intellect and craft. This is going on for centuries. They have created vested interests which have to be crushed.

Sir, we hear talks about distribution of land on the one hand it is said that all the grazing and pasture lands may be distributed for ploughing on the other hand our respected Vinobaji is agitating for complete ban on slaughter of cows and eating of beef. There is no provision for growing fodder for the cows, the pastures are being abolished for growing food for men, the old and useless cows cannot be fed or sheltered. Even the young and milk yielding cows do not get enough to eat. In this situation agitation for banning slaughter of old and useless cattle is absolutely unrealistic. But even then a team of Ministers rushed to Vinobaji to persuade him not to resort to fast. This is a total waste of time. This sort of unrealistic attitude should not be given any encouragement. Our Ministers should rather rush to the farmers of West Bengal, Punjab and U.P. where they are in distress and are not getting proper price for their potato. Millions of farmers are looking up to you for some relief. Wasting time on Vinobaji is not at all desirable in this situation. Not only that Sir, the Government of India received a loan for the I. D. F. amounting to Rs. 569 crores till last year at a nominal rate of interest of 3/4 percent. The Government is giving that money to the Agricultural Refinance Development Corporation at a rate of interest ranging between 6-1/2 per cent and 7-1/2 per cent. The Agricultural Refinance Development Corporation is again lending that money to the Land Development

[Shri R. K. Dawn]

Bank at 7 1/2 per cent to 8 per cent rate of interest. The land Development Bank is in their turn giving loans to farmers at 12 per cent to 13 per cent rate of interest. So you see that the money which World Bank is giving at less than 1% interest is ultimately given to the farmers at 13% interest. I do not think there is any greater example of usury than the Government of India. This practice of usury will have to be stopped in the interest of the farmers. This is sheer exploitation. Moreover, the World Bank gives the loan on term of 50 years. But when a loan is given to the farmers from that money, he is told to repay the loan within 9 years. A further condition is put that unless he repays 65% of the loan in any year, he will not get any further instalment of loan during that year. No consideration is shown if his crops are ruined by floods or drought, if there is hail-storm or cyclone. Repayment is mercilessly insisted upon. Otherwise no fresh loans are given to him. This system has to be changed.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR in the Chair].

16.40 hrs.

Mr. Chairman Sir, our country need about 5 million tons of fertilizers every year but our domestic production cannot meet that demand. Why is it so? This is because our fertilizer units are not worked to full capacity. Politics have entered our fertilizer factories and this has resulted in short fall in production. There is no cropping plan. Today we see abundant production of potatoes, sugar cane, jute etc., but there are no buyers, the farmers are ruined.

Mr. Chairman, Sir, with your permission I will now present before you a new device through which the poor farmers are being exploited.

Mr. Minister please see. This is the Potato Container and it weighs only 280 gram and this is selling in the potato field at Rs. 300. They are purchasing raw jute at only 0.50 paise

per Kg. and they are selling at Rs. 12 per Kg. This kind of exploitation is going on in India. You are the protector of the agricultural people and you are responsible for this. You should protect the agricultural people. I am submitting in front of you. This kind of thing is going on in India.

Is it not astounding that jute purchased at .08 paise per Kg. is being sold to the farmers at Rs. 12 per Kg.? This sort of blackmarketing is resorted to by the Government. Mr. Chairman, I want more time. I am narrating this matter of 85 per cent of people in India, not 10 per cent urban people. So I want more time

MR. CHAIRMAN: You take two minutes more, you have taken fifteen minutes already.

SHRI RAJ KRISHNA DAWN: Now, Sir, I come to crop insurance. Ours is an agricultural country. We see in the field of business that the godowns of blackmarketeers are insured. In case of mishap he gets full compensation whether there are any goods really stocked or not. But during last year's floods I have seen in West Bengal that all the crops of farmers were washed away. His dwelling and cattle were completely washed away. He was totally ruined but there was nothing to compensate him. But those brave people took up the challenge they staked all their energy in raising new crops. Last year 18 lakh tons of potato was produced in West Bengal but Mr. Barnala do you know that this year inspite of the floods, 23 lakh tons of potatoes have been produced in West Bengal. What was their expectation? They could not raise 'Aman' paddy so they wanted to make up the loss by raising potatoes. But it is a matter of great sorrow that the prices have crashed to such an extent that the farmers cannot even meet the cost of transporting the potatoes from the fields to their home. Mr. Minister you are sitting here Ministers can waste time for saving Vinobaji, but they have no time to go to the lakhs of distressed farmers, to bring some relief to them. They do not seem to be concerned about the crashing

prices of potatoes, jute and sugarcane which have ruined millions of farmers. I am drawing your attention to this.

One word about chemical pesticides, Sir, pesticides are no doubt very essential for crop protection. But in this House I raised this question and gave a sample of paddy corn which had been withered by pests. The farmers are applying pesticides for protecting the crops that they have produced with the blood of their hearts but it is ineffective as they are heavily adulterated. This is nothing but rape of the paddy crop by the adulterators. No action has been taken on this. The adulterators must be hanged who are playing havoc in millions of poor families and some day our entire crop of the country may be destroyed by pests due to adulterated pesticides. Prompt attention should be paid to this, otherwise even if God almighty takes the place of Shri Barnala, he will not be able to save this country.

Sir, when a bicycle is manufactured in a factory who decides upon its price? The price is fixed by the Managing Director of the factory, the industries Secretary and the representative of the Minister etc. But who fixes the price of agricultural crops? It is fixed by the I.C.S. Officer, the Minister who never visit a field who do not know what a potato looks like, who do not know the intricacies and cost involved in the inputs. Sitting in an air-conditioned chamber with a bottle of Coca-cola in his hands, he declares that the price of paddy is fixed at Rs. 77 a quintal, and that price stays. This system has got to be changed. The farmers must be consulted while fixing the price. The Agricultural Prices Commission should be scrapped. It is only a den of the corrupt and crafty people. They have all along recommended unrealistic prices for agricultural produce without going in the depths of cost structure. Unless this 'den' is demolished, the farmers of this country can never see better days.

Now, Sir, I will say a few things about rural banks. If a bank is opened in any village there is great rejoicing. But what are these banks really doing? They are simply exploiting and sucking the villages dry. It is done in this way. The money deposited by village folk in these banks are transferred to the Head Offices in the cities. The Head offices loan this money to big industrialists like Birlas, Tatas, Dalmias etc. In this way the money from the villages are going out to the cities through these banks. Therefore, some legislation should be framed whereby the money collected from the villages must be investigated in that very area for the betterment and prosperity of the villages. Under the pretext of providing employment to some people these banks are simply exploiting the rural areas.

I am telling the hon. Minister that I have seen working of the milk dairy at Durgapur. There is total chaos and maladministration. A contractor has been engaged to supply milk to the factory. A lorry has been engaged to bring only 2 cans of milk from Burdwan to Katwa, a distance of sixty miles. Now 2 cans of milk contain only 30 Kg. milk. For bringing 2 cans of milk a full lorry is travelling sixty miles every day. This is a gross wastage and the Durgapur factory is showing a loss all the time. I will draw the attention of the Minister to these wasteful ways.

Now, Sir, I come to the storing of foodgrains. The poor farmer grows his crop with his blood and sweat, he protects his crop against pests with pesticides and chemicals, and perhaps is not able to provide medicines to his own ailing children because of this. But it is a matter of shame that the Government does not have proper storage facilities for his crops. Today lakhs of tons of potato, wheat, sugar etc. are rotting away for want of storage facilities. The Government that cannot provide storage for the crop raised by poor farmers with their

[Shri R. K. Dawn]

blood and sweat, has no right to stay in power.

Now, I come to market facilities. Today we have no facilities for marketing the abundant potato crop. The Government have no competence to export our potatoes to foreign countries. If a farmer wants to sell his potato outside, he cannot do that. But the Government should find export markets so that the farmers may get adequate price. Mr. Barnala, you are the protector of the farmers. You should endeavour to find export markets for our farmers. Why potatoes cannot be sold in foreign countries? You have to find the market.

I will urge upon the Minister to have a stricter control on the agro-based industries. The example I showed you is very alarming. The cash crop jute is purchased from the farmers at controlled rate of .80 paise per Kg. But the jute mills are selling it back in the form of socks at Rs. 12 a Kg. The Government is a silent spectator. This situation cannot last long. You have to take up this issue. I do not say that you pick up a quarrel with other Ministers but what I say that you and your Ministry have to be more alert and active to see that the farmers are not exploited in this manner. 85 per cent of the people are under your charge, they are looking upto you for relief. 85 per cent of the population are behind you in any steps you take to prevent their exploitation. You represent them. So you have to come forward.

Sir, one word about agricultural loans. The process of granting loans have to be simplified. The poor and illiterate farmers are lost in a maze of rules and regulations and they have to cross many hurdles before they get a loan. Therefore the processing has to be made simple so that the farmers may get loans speedily and in proper time.

Sir, socialism cannot come by putting a ceiling on rural land holdings alone. Ceiling must be put on urban

land. In the cities people possess several grand buildings worth crores of rupees. They construct multi-stories flats and earn thousands of rupees. Ceiling must be put on urban property if socialism is desired. There is no control in the cities but in the villages if one person possesses 25 bighas of land for cultivation. You call him Jotedars and what not and they are hated. This has also to be reviewed. You have to change this system. If you do not do that yourselves, the people will not sit quietly. One day they will force you to change it. That day is not far away.

About income tax, what is this system you have introduced. If a man earns 8000 rupees in business, he is exempted from income tax. But in the case of agricultural income, if the income exceeds 3000 rupees it is taxed. This type of disparity has to be ended. This is absurd.

I have a word of praise for the hon. Minister of Agriculture because in this budget he has really tried for the well being of the farmers. Although the overall expenditure on Agriculture is less by 21 crores this year as compared to last year's budget. The hon. Minister comes from an agriculturist family of Punjab, the State which is practically feeding the whole country today. Therefore, you rightly know the value of a farmer. I will earnestly request you to save the poor farmers from the exploiters. They are looking up to you.

I had shown this piece of gunny cloth produced by the jute mills to the Prime Minister. Hon. Prime Minister spoke to Shri Mohan Dharma who said that the jute comes under my charge but the gunny cloth produced from it is under George Fernandes. This multiplicity of control is harming the farmers and is responsible for their exploitation at the hands of mill owners. I will request you to take that charge to see that the exploitation of farmers is stopped.

In the end I will urge upon the Minister to attend to these difficulties of the farmers. He should introduce crop insurance. Some pension scheme should also be introduced for the agricultural labour. Sir, I will retire after 5 years but will enjoy a pension sitting at home. The hon. Minister will retire and enjoy a pension. The officers of the Government, the engineers etc. will all enjoy pension after service. But the agricultural labour who provided you with food for sixty years or more will not get anything when he is no more able to work. Therefore, I will urge that some scheme for pension or gratuity for them may be introduced. With that Sir, I support the demands of the Ministry of Agriculture and conclude my speech.

श्री चम्बर सिंह (कैलाश) : सभापति जी, आप समय देखकर दीजिए, सभी मुत्तज़र हैं बोलने के ।

MR. CHAIRMAN: It is upto the hon. Members to follow. I can ring the bell here and they should follow it.

17 hrs.

श्री नाथू राम बिष्टा (नागौर) सभापति जी, कृषि मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है । इस मंत्रालय के मंत्री और राज्य मंत्री दोनों ही कृषक हैं । (अपवाह) इस मंत्रालय में बैठने वाले हमारे मंत्री जी और राज्य मंत्री जी दोनों कृषक हैं और कृषक जगत की और कृषि की सारी समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित हैं । जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले दो सालों में इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने किसान, खेत और गांव के विकास पर जोर देने की बात कही है । इस का एक वातावरण भी बनाया और इस साल तथा पिछले साल के जो बजट इन्होंने पेश किये, उनमें अनुदान की जो सांगें रखीं, उन में निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय से डोल होने वाले विभागों के अनुदान बढ़ाये गये हैं । लेकिन वर्षों की इच्छा बढ़ाना एक बात है और उस राशि का सही उपयोग करके किसान

जगत और देश की समस्याओं का निपटारा करना दूसरी बात है । आज भी मुझे एक ऐसा वातावरण नज़र आता है—इस सरकार में—कि इसकी कोई निश्चित नीति नहीं है कि जिन के द्वारा किसानों तथा खेती में आने वाली समस्याओं का हल निकल सके ।

इन्होंने एक किताब छपाई है—“अनाज के मोर्चे पर विजय” । बहुत खुशी की बात है । इन्होंने लिखा है — इतने दिनों तक हम लगातार बाहर से अनाज मंगाते रहे, अब हमने मगाना बन्द कर दिया और यहां तक गर्वोन्नत होकर कहा है—आगे भी शायद हम को कभी अनाज मगाने की जरूरत नहीं रहेगी । इसी पुस्तक में मैंने पढ़ा—कृषि आयोग ने देश में आने वाले वर्षों में बढ़ने वाली जनसंख्या का ख्याल रख कर सन् 2000 तक की खाद्यान्न की माग का अन्दाज़ा लगाया है और उनके अनुसार साठे-बाइस करोड़ टन अनाज की जरूरत पड़ेगी । आज का उत्पादन, जो उन्होंने बतलाया है, साढ़े-बारह करोड़ टन हुआ है, इस का मतलब हमें दुगुनी मात्रा तक पहुंचना है, तब उस वक्त हमारी जरूरत पूरी हो सकेगी । मैंने एक दूसरे मंत्रालय की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा—जिसमें कहा गया है कि इस देश से गरीबी और बेकारी को मिटाने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिये हमें दो तरफ से इस मोर्चे की तरफ चलना है । एक तरफ जनसंख्या पर काबू पाने की बात है और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ा कर, उस का सही वितरण कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पर लगाने की बात है । ये दोनों मोर्चे आज जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं—मुझे उसमें थोड़ी शका है । जहां तक आबादी के घटने का सवाल है—इस मोर्चे पर यह सरकार बिजकुल फेब हई है । आप इनकी परफार्मेंस को देखिये । पिछले दो सालों में इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया, उसका 15 या 20 परसेंट भी पूरा नहीं किया । फॅमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम बदल कर भी ये उस मोर्चे पर नाकामयाब रहे ।

[श्री गायतम सिधार्थ]

एक तरफ आपकी आबादी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आप टारगेट की बात कर रहे हैं कि साढ़-बाइस करोड़ टन अनाज पैदा करेंगे। उस समय आबादी के लिए कहा गया है कि 94-95 करोड़ के लगभग हो जायगी, क्योंकि इस समय यह रफ्तार हजार के पीछे 33 है। जिसको आप छठे प्लान के अन्त तक 28 करना चाहते हैं। हमने अन्दाजा लगाया था कि 24 या 25 एक हजार के पीछे पैदा हाने तो इस 2000 सन् तक हमारी आबादी 94, 95 करोड़ होगी और उनके लिए हमको इतना अनाज चाहिए। हमने कृषि आयोग में बैठ कर सब चीजों का अन्दाजा लगाया था कि इतनी डिमांड होगी और इतनी सप्लाई। कितना सीरियसली मंत्री जी ने इस पर गौर करमाया है। मुझे अफसोस है कि इस कृषि आयोग की रिपोर्ट के बारे में इतनी चर्चा इस सदन में हुई, क्या अभी आपने यह सोचा कि कृषि आयोग की रिपोर्ट, जिसकी प्रतिया सभी लोगों को बांटी जा चुकी है, पर इस सदन में दो, चार दिन बैठ कर चर्चा हो और सब लोग उस पर बिचार करें और उसके बारे में सरकार का क्या रुख है, उसको समझ सकें। मैंने एकाध बार आपसे इस रिपोर्ट के बारे में कनसल्टेटिव कमेटी में पूछा था, तो आपने जवाब दिया था कि 2233 सिफारिशों में से करीब 1200 सिफारिशों पर हमने कार्यवाही की है। मुझे यहाँ तक मालूम है कि आपने जो राज सरकारों को इसके बारे में पत्र लिखे हैं, वे रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं। कृषि आयोग की रिपोर्ट ऐसा डाकूमेन्ट है, जिसमें प्रागेराने बाज़े 50 सालों में जो कुछ करना है, वह उसमें दिया हुआ है कैसे बेकार पड़ी हुई भूमि को सुधारा जाए, किस प्रकार उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा किया जाए, सिंचाई को बढ़ाने का काम कैसे हो, पशु धन को कैसे बढ़ाया जाए, समुद्र के धन मस्य को कैसे बढ़ाया जाए,

वनो को कैसे बढ़ाया जाए, सबों के बारे में क्या नीति हो, इस प्रकार के बहुत से विषयों के बारे में 38 बोल्यूम में लिखी हुई हैं वह रिपोर्ट है और वह आपकी अम्बारी में बेकार पड़ी हुई है। जिस प्रकार से गम्भीरता के साथ उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, वह कार्यवाही मुझे आज नजर नहीं आती है। उस रिपोर्ट में अग्रह और गहन मुत्ताव दिये गये हैं। धन तो आप प्लानों में बढ़ाते चले जा रहे हैं पर योजनाओं को लागू करने के लिए सिर्फ धन ही काम नहीं आता है। योजनाओं को लागू करने के लिए मजालयों का आपस में समन्वय, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों का तालमेल होना जरूरी है। इसके लिए उपयुक्त वातावरण, शासन के अन्दर काम करने वाले शासनकर्ता की प्रणाली, उस का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ जनता का माहौल और जनता की इन्टील्लिजन्स के साथ सम्बन्ध जोड़ कर योजना के अन्दर जो गति आती है, जो रिजल्ट निकलते हैं, क्या वह वातावरण इन पिछले दो सालों में बना है? क्या उस वातावरण की हम उम्मीद कर सकते हैं जिसके जरिये उत्पादन बढ़ा कर किसानों के साथ न्याय होगा और देश में बेरोजगारी मिटेगी? प्रधान मंत्री जी ने जावण दे दिया और बड़े गौरव के साथ कहा कि हमने इसकी शुल्कात कर दी है और वे ऐसा मानते हैं कि हम 10 साल के अन्दर बेरोजगारी मिटा देंगे। श्री मन्त्र गृह ने एक सवाल पूछा था, उनका एक नान-आफीशियल रेज्योवूशन था कि उसमें क्या प्रगति हुई है इन दो सालों में। तो प्रधान मंत्री जी ने बताया कि हर साल या दो सालों के बाद प्रगति नापी नहीं जा सकती है। प्रगति नापने एक साथ। मेरे ख्याल से कभी वह नपेगी नहीं और कितनी प्रगति हुई है, इसका कुछ पता नहीं है, कोई इसका एनेमेट नहीं है। बेरोजगारी मिटाने के लिए कृषि आयोग ने कुछ सिफारिशों की हैं कि गांवों में किन कामों पर जोर दिया जाए। किन कामों को धावे बढ़ाया जाए।

क्या उनके बारे में आज तक, दो साल ही गये हैं आपकी सरकार की आप हुए, रस्ती भर भी विचार किया है। सेरीकल्चर, रेशम के बारे में आपने विचार किया है? 30 करोड़ रुपये का आप एक्सपोर्ट करते हैं। 300, 400 करोड़ रुपये का उसका पोर्टेजियल है। कई जगह उसका उत्पादन हो सकता है। मिल्क बोर्ड बैठे हुए भा सो रहा है और कोई काम उसका नहीं है। उसमें एम्प्लायमेंट का कितना पोर्टेजियल है, इसके बारे में आपने सोचा है। 2 एकड़ के अन्दर अगर रेशम का उत्पादन किया जाए, तो कम से कम 10 हजार रुपये की नेट इनकम हो सकती है। क्या हम बात पर आगे गहराई से विचार किया है? मधु मक्खियां पोलीनेशन में इम्प्लॉन्ट रोल भदा करती हैं। वे शहद देती हैं। क्या उसके बारे में आपने आज तक गहराई से सोचा है। इन सारी चीजों के बारे में आपकी क्या नीति है? आज वन धड़ाधड कटते जा रहे हैं। मैनमेड फॉरेस्ट्स की जो रिपोर्ट है, उसमें यह है कि अन-अप्रोवेबिल फॉरेस्ट्स को एप्रोवेबिल बनाया जाएगा उसमें भी लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा। सबकें बनेंगी। उसके बाद में फॉरेस्ट काट कर के, जो पुराने हो गये हैं, उसके बजाय नया प्लांटेशन किया जाए। आज कितना काम हो रहा है?

मन्त्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इण्टरनेशनल एजेंसीज की जो फाइनेंसिंग इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उन्होंने कहा है कि इण्टरनेशनल कमीशन की सिकारियों को भाल कर अगर आप काम करो तो आपको धन की कमी नहीं हो सकती है। आपको धन बाहर से मिल सकता है। आपको बैंक फंडर जिन्हेट करनी है, रिसर्व बैल भजवत करना है। अगर इन चीजों को ध्यान से सोचा है? आपकी सरकार में इन चीजों के बारे में सोचने की सीरियसनेस नहीं है।

मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप गम्भीरता से सोचें कि उत्पादन के और और

हैं। इन चार में से तीन जोत आपके पास हैं। खच्च नहीं है। जंगल, जमीन और पशु आपके पास है। आपने जो कुछ भी उत्पादन बढ़ाया है, उस पर आप ग्रहण करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सीधेता हूँ कि दो-तीन साल 'मानसून अच्छा हो गया, बरसात अच्छी हो गयी तो यह सब हो गया। जब बरसात होती है तो ठीक है फलड आता है लेकिन उससे जमीन में पानी होता है, कुश्रों में पानी होता है, नदियों में पानी होता है, बांध भरे होते हैं। उनसे सिंचाई के साधन मिलते हैं, प्राइवशन बढ़ती है। इस साल का बैल लेवल प्रोडक्शन 125 मिलियन टन है। इसको हम देश का बैल लेवल प्रोडक्शन नहीं मान सकते हैं। जब हमारा प्रोडक्शन 108 मिलियन टन तक पहुँचा था तो हम 104 या 105 बैल लेवल प्रोडक्शन मानते थे। आज आपका बैल लेवल प्रोडक्शन 110 या 112 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है। इस तरफ बैठने वाले लोगों से आपके पास काफी स्टॉक छोड़ा, विदेशी मुद्रा का काफी भंडार छोड़ा। आज आप उसको किम तरह से खर्च कर रहे हैं? आज ही अच्छ-बायों में निकला कि कितना इम्बेल्स हुआ है क्योंकि फालतू चीजों को आप आगते जा रहे हैं और जिन चीजों का एक्सपोर्ट होना चाहिए वह नहीं किया जाता है। कृषि के बारे में वहाँ आँकड़े दिये गये, मैं उनको रिफाई नहीं करना चाहता। कृषि की बाहर जाने वाली वाली चीजों को आपने बाहर भेजना बन्द कर दिया या कम कर दिया। आपने वह बुद्धिकीर्ण लिया है कि कृषि की चीजों को बाहर नहीं जाना चाहिए। व्याज, धातू, फल, हल्दी, जीरा, धनिया बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या हुआ? किसान पिटा। जब उसकी इन चीजों की पैदावार ज्यादा हुई तो उसने जब-दस्ती करके दुकानों में डाला और जिनके ने अपनी मर्जी के दाम उसे दिये। आपकी इस अप्रवृत्तिता की नीति के कारण किसानों की यह हालत हुई है। आपकी कोई निश्चित नीति नहीं है। आप इण्टरनेशनल मॉर्केट दूढ़ कर एप्रोवेबिल प्रोडक्शंस को नहीं नहीं

[श्री नाथूराम मिश्र]

बाहर भेज रहे हैं ? क्या आपने कोई इण्टर नेशनल मार्केट का सर्वे कराया है ? क्या आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए कोई लॉग रेंज पालिसी बनायी है ? हमारे यहाँ गांवों में कहावत है कि जब टट्टी लगी तो लोटा हूँ। इस प्रकार से आप करते हैं कि हल्दी ज्यादा हो गयी है अब इसको बाहर भेजो। 15 सौ रुपये की आपने एम्साइज बुयूटी बाहर भेजने पर लगा दी। जो कमाये तो बनिया कमाये। आप की सारी नीति किसान को लुटवाने की है, मिडिलमैन को फायदा पहुंचाने की है। आपकी जो नीतियां हैं उनकी वजह से आज किसान परेशान हैं। उसकी उपज की चीजों के दामों में जो उतार-चढ़ाव आ रहे हैं उससे वह परेशान हैं। अगले साल वह गन्ना सोच-समझ कर बोयेगा। आज गन्ना बोने वाले किसान की क्या हालत है ? देश में तेल की कमी रही तो बाहर से आ जायेगा। दस-बारह टन तेल बाहर से मंगा लिया ताकि बॉनये की खोपड़ी ठीक हो जाए, किसानों की भी खोपड़ी ठीक हो जाए। ये सारी आपकी एडवाक नीतियां हैं। इनसे देश के किसानों का कोई भला नहीं हो सकता है।

अन्त में मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि कृषि आयोग की रिपोर्ट पर आप इस सदन को कम से कम तीन चार दिन तक खुल कर बहस करने का अवसर दें। जो योजना बनती है उसके अन्दर छहर छहर थोड़ा बहुत मोडिफिकेशन करने से काम नहीं चलना, बैसिक चॉइस होने चाहिये। साथ ही सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप में तालमेल रखा जाना चाहिये। देश में अजीब राजनीतिक माहौल बन रहा है, आपकी पार्टी का भी यही हाल है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से चल रही हैं और आप अपने हिसाब से चलने से चल रहे हैं। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। मैंने कई राज्यों के बजटों को देखा है। आप देखें कि बजट प्रावधानों को कब और किस तरह से खर्च किया जाता है। तीस परसेंट बजट

प्रावधानों का विसम्बर और जल्दारी में खर्च किया जाता है और फरवरी मार्च में जो खर्च होता है पता नहीं और सेविंग कितनी बता दी जाती है उसको भी आप देखें। विसाल की सफाई होनी चाहिये, मन्त्रालयों का आपस में तालमेल होना चाहिये, राज्यों और केन्द्र के बीच तालमेल बिठाया जाना चाहिये, पार्टी और सरकार का वातावरण शुद्ध जब तक नहीं होगा तब तक देश की गति तीव्र नहीं हो सकती है, विकास देश का नहीं हो सकता है। उस अवस्था में आपके नारे नारे मान ही रह जाएंगे और इस देश के अन्दर बेकारी फैलती चली जाएगी, पढ़े और अनपढ़ ज्यादा बेकार होते चले जाएंगे, देश में अशांति का जो वातावरण बना हुआ है वह और भी विकट होता चला जाएगा, और उस चीज को समेटना कोई भी सरकार जो बाद में आएगी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा।

आप इन सब चीजों पर गहराई से विचार करें और नीतियों का सही निर्धारण करें, यही मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री श्री लाल (बिजनौर) : सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि बीनी पर से कंट्रोल हटा करके आपने अग्रेष्ठाचार की जो समाप्ति की है उसके लिए आप बघाई के पात्र हैं और मैं आपको बघाई देता हूँ। यह सही है कि अब बीनी बाहरों में बीनों की कुछ महंगी जाने को मिलेगी लेकिन बाहरों के दबाव में आ कर पुनः बीनी पर नियंत्रण लागू करने की बात आप न सोचें। इसका साथ यह होगा कि खसारी के साथ कुछ ऊँचे जाएंगे और इससे गन्ना उत्पादकों को बने का अच्छा मुँह मिल सकेगा।

मैं राज्य के उत्तरी भाग से आता हूँ जहाँ किसान की अपने व्यवस्था का आकार गन्ना है। गन्ना केवल किसान ही नहीं बल्कि राज्य की सब व्यवस्था का भी एक मुख्य अंग है। भारतीय

सरकारें और मुझे जवाब देतीं महीनदय कहने के लिए कि केन्द्रीय सरकारें भी जो उदासीनता दिखा रही है उस उदासीनता को जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिये ।

गन्ना क्षेत्रों में विकास के लिए नई खोजों के लिए चीनी मिला को बड़े बड़े फार्म आप ने दे रखे हैं । पिछले तीस साल में कोई नया रिसर्च गृह कैंट्रीज के फार्म ने करके नहीं दिखाया है, कोई उपादेयता ऐसी नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि वह भूमि जो आज मिल मालिक सम्भाले बैठे हैं उसका कोई सतुपयोग हुआ है । किसान अपने तरीके से नई नई खोज कर रहा है । यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र का भविष्य उसकी बजह से उज्ज्वल है । बिना पड़े लिखे किसान ने अपने खेत को एक रिसर्च सेंटर बना रखा है । वह मिक्सड क्रॉपिंग भी कर रहा है और गन्ने के साथ साथ गेहूं और दूसरी तीसरी चीजें भी पैदा कर रहा है । यह किसान की देन है और हमें उसका प्राभावी होना चाहिये । गन्ने की रिसर्च फार्म पर पिछले तीस साल में नहीं हुई है, कोई नई खोज करके उन्होंने नहीं दी है । इस मामले गृह कैंट्रीज के पास रिसर्च के काम पर जो फार्म हैं उनको उस से बाधित न किया जाना चाहिये और उस भूमि को भूमिहीन खेत मजदूरों में—भूमिहीन किसान में मैं उन सब को बाधित करता हूं जिन के पास अपनी जमीन हो या न हो लेकिन वे खेती का काम करते हैं—बांट दिया जाना चाहिये । इन खोजों के फल सही मार्ग में भूमि खेती चाहिये ।

उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ गन्ने की रिसर्च है कि पंजाब में

जालंधर का जो गन्ना अनुसन्धान केन्द्र है उसने भी एक नई गन्ने की खोज की है, उसको मेरे प्रदेश की सरकार ने मान्यता नहीं दी है । मेरे प्रदेश में पंजाब से जो किसान जाकर बसे हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि गन्ने की रिकवरी 11, 12 परसेंट तक है, प्रति एकड़ पंधावार भी अच्छी है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार उसे मान्यता देने को तैयार नहीं है ।

एक मानवोद्य सचिव : एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी है ।

श्री महीनदय : मैं जालंधर के रिसर्च अनुसंधान केन्द्र की बात कर रहा हूं । मैं क्या बताऊं, मुझे तो तकलीफ है और मैं यह कहने को मजबूर हूं कि केन्द्रीय सरकार की नई-नई योजनाओं की हमारी प्रान्तीय सरकार ने यह बुझा कर दी कि अन्ये पीसों, फुत्ते खायें । अच्छी से अच्छी योजना जाती है, लेकिन उसको गूड़-बोबर बनाकर हमारी सरकार खराब कर देती है ।

बाढ़-पीड़ितों की सहायता लिये उत्तर प्रदेश सरकार को 50 करोड़ रुपये दिये गये थे, जिसमें से हमारी प्रान्तीय सरकार ने केवल 2 करोड़ रुपये खर्च किया है । जो 2 करोड़ रुपये बाढ़-पीड़ितों को बाँटा भी गया है, शायद उसमें से 75 लाख ही बाढ़-पीड़ितों को पहुँचा हो, बाकी से हमारे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबें ही भरी हुई हैंगी ।

मैंने माननीय कृषि मंत्री को दावत दी थी कि मेरे बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में बतिये । उन्होंने मुझे तारीख भी दी थी, लेकिन न बाजून कौन सा और जकरी कान उन का निकल आया, जिसकी उन्होंने बाढ़-पीड़ितों की सहायता करीबता दी और

[जी महीलाल]

मेरे क्षेत्र में खाने का ब्रोडम कलिल कर दिया। धाया-धाया मज कपड़ा बाड़-पीड़ियों को बांटा गया है।

इसलिये मैं अनुरोध करूँगा कि जो कुछ भी धनराशि दी जाये, चाहे फोरेस्ट के लिये हो, नये के लिये या बाड़-पीड़ियों के लिये हो उसका मूल्यांकन करने की कोशिश की जाये, अध्ययन ठल भेजा जाये और अनुमान लगाया जाये कि जो धनराशि भारत सरकार देती है उसका कितने प्रतिशत लाभ किसान को पहुँचता है, गरीब को पहुँचता है और कितना प्रतिशत हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी जेबों में रह जाता है और कितने प्रतिशत सैप्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को पुनः प्रान्तीय सरकार के साथ अपने संबंधों पर विचार करना होगा और प्रान्तीय सरकार को विचार करना होगा कि जिन योजनाओं के लिये खर्चा दिया जाता है वह उस घर खर्च करे। अगर वह खर्च न कर सके तो भारत सरकार को सीधे बिनास के कार्यों के लिये खर्च करना चाहिये।

मैंने फार्मों के सिग्नल में जानकारी की है आज चाहे बंगाल, पंजाब या राजस्थान के कोई भी माननीय सदस्य कुछ कहें, लेकिन वह भूमि के पुनर्वितरण की आकांक्षा को नहीं धका सकते, जब राष्ट्र सौट कर बड़े फार्मों की तरफ नहीं जा सकता। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज साम्यवादी जनता में जनता सरकार के धन-पापुलर प्रेस का सबसे बड़ा कारण यह है कि भूमि के पुनर्वितरण की योजना को किसी ताकत देनी चाहिये थी, जिसकी सहाय के साथ करना चाहिये था, उसने वह नहीं किया इसी की वजह से आज सरकार के प्रति असंतोष है।

वोनों को कड़ी निराशा थी कि अगर कहीं कपड़बन्दी हुई तो जनता असंतुष्ट होगी, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मैं आज ही अपने क्षेत्र से लौटा हूँ जो कि बिना पड़े-लिखों का क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी को भी यह जानकारी खुशी होगी कि जनता ने सरकार की सराब-बन्दी का स्वागत किया है।

हमारे पश्चिमी जिलों में किसान का गन्ना मूल्य मिलों में कम जा रहा है और खंडसारी की इकाइयों में ज्यादा जा रहा है— ज्यादा गया है; अब तो वह करीब-करीब खत्म हो गया है। खंडसारी की इकाइयों का रेट 6 रुपये से 13 रुपये तक पहुँचा है। जिन लोगों का—चौधरी चन्दन सिंह जैतों का—गन्ना मिलों में जा रहा है, उन्हें तो दो रुपये प्रति-क्विंटल अनुदान दिया जायेगा, लेकिन जिस छोटे किसान का गन्ना क़रार, खंडसारी इकाई में जा रहा है, उसको कोई अनुदान देने की योजना सरकार की नहीं है। आखिर यह विषयता क्यों है खंडसारी की इकाइयों को संधा सन्ध्या करने वाले के लिए अनुदान क्यों नहीं है और मिलों को गन्ना सन्ध्या करने वाले के लिए अनुदान क्यों है?

जहाँ तक भूमि-वितरण योजना का सम्बन्ध है, जिसने प्रश्न किये गये, उनके उत्तर में मंत्री महोदय ने प्रान्तीय सरकारों के दिये हुए आंकड़ों को बौहरा दिया। लेकिन क्या केन्द्रीय सरकार के स्तर पर कोई मूल्यांकन समिति बनी है, जो नीचे पर जाकर जाँच करे कि सीलिंग के लागू होने के कितनी ख़रीद निकली और उसमें से कितनी ख़रीद निर्धारित नियमों के अनुसार निर्दल लोगों को दी गई? जिन के पास पहले से ख़रीद मौजूब है, उन्होंने अपने सामाजिक वर्गों के नाम सीलिंग की भूमि का आवंटन करा लिया। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने परिवार के लोगों के नाम भूमि का आवंटन करा लिया। मंत्री महोदय इस विषय

को प्रगल्भ सरकारी घर छीड़ कर जनता पार्टी को बाधुखर नहीं बना सकते। अगर वही स्थिति चलती रही, तो जनता पार्टी के प्रति आब निर्बल वर्ग में जो असंतोष है, उसको वह नहीं मिटा सकेंगे। इसलिए मैं दुकानापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि भूमि-आवंटन के कार्य को बरीयता देकर, सही मानों में जो किसान है, उसके हाथ में भूमि दी जाये।

यहाँ पर दोनों तरफ हरिजनों के नाम पर रोया जाता है और हम सब हरिजनों के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हरिजनों की समस्या एक आर्थिक समस्या है, और वह भूमि की समस्या है। अगर हरिजनों को उनकी तादाद के अनुपात में भूमि दे दी जाये, तो मेरा निश्चित मत है कि हरिजनों पर होने वाले अत्याचार एक-चौथाई रह जायेंगे—ग़ीन-चौथाई अत्याचार भूमि के वितरण के बाद समाप्त हो जायेंगे। भूमि के क्षेत्र में जो विषमता है, वह निर्बल वर्ग के लिए सब से ज्यादा कष्टदायक है। जो भूपति है, या भूपतियों के नौकर और सम्बन्धी हैं, उन्होंने ही गांवों में निर्बल वर्ग के लोगों के जीवन को नरकमय बना रखा है। निर्बल वर्ग के लोग कुछ उठना चाहते हैं, मगर वे उन्हें दबा कर वहीं रखना चाहते हैं, और यही संघर्ष का कारण है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जनता सरकार सही मानों में हरिजनों का हित करना चाहती है—और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वह उनका हित करना चाहती है, उन्हें उठाना चाहती है—तो उनके उत्थान के लिए एकमात्र योजना उनकी संख्या के अनुपात में उनकी भूमि का आवंटन है।

अगर सरकार बड़े लोगों की जमीन छीन कर उन्हें नहीं दे सकती है, तो उसके पास लाखों भूकृषु जमीन खेती नहीं है, जो खेती के

योग्य बनाई जा सकती है और उसका वितरण किया जा सकता है। मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र की बात कहता हूँ। बर्नमैंट की 18 करोड़ रुपये की मशीनरी, जिसमें बड़े बड़े बुलडोजर भी हैं, आसमान के नीचे पड़ी हुई है। वे बुलडोजर पड़े सड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उनसे जमीन को समतल करने का काम नहीं लिया जा रहा है। जिस काम के लिए हमने वह मशीनरी खरीदी थी, वह काम तो हमने पूरा कर लिया। अब हम उस मशीनरी से दूसरा काम क्यों नहीं ले सकते? वे बुलडोजर रामगंगा बांध पर पड़े हुए हैं। क्या हम उनके द्वारा चम्बल घाटी की जमीन को चौरस नहीं करा सकते हैं? लेकिन अधिकारियों का ध्यान उधर नहीं जाता है। और क्यों जाये? वे तो एयर-कन्डीशन्ड कमरों में बैठते हैं, सरकारी गाड़ियाँ उनके पास हैं, और गाड़ियाँ भी एयर-कन्डीशन्ड हैं। उनको क्या तकलीफ है? जिन लोगों को तकलीफ है, क्या उनके प्रति उन्हें सहानुभूति है? सहानुभूति और जिम्मेदारी हमारी है, जो जन-प्रतिनिधि हैं, और मंजि-मंडल के सदस्यों की है। वे अपनी जिम्मेदारी को देख और निभायें। मैं यह बात नहीं मानता हूँ कि सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे—अगर हमारे मंत्री योग्य होंगे। सरकारी मशीनरी छोड़ा है और हमारे मंत्री सवार हैं। सवार अगर घमाडी है तो घोड़ा सवारी नहीं देगा और सवार योग्य है तो घोड़े की सवारी ले लेगा चाहे कितना ही बिगड़ा घोड़ा क्यों न हो। तो जो कुछ हमारी योजनाओं में आब विफलता है उसका कारण क्या है

एक सामान्य सदस्य : घोड़ा किस नस्ल का है ?

जी वही साल : वह किसी नस्ल का क्यों न हो, यह सवार के ऊपर निर्भर करता है कि सवार में कितनी शक्ति और योग्यता है।

[श्री मंत्री लाल]

अच्छा सवार होया तो चाहे वह किसी मत्स्य का बौड़ा हो उस से वह सवारी ले लेगा ।

अगली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, अनेक बार मेरे मित्रों ने आप से कहा होगा और आप भी जानते होंगे, रिजर्व बैंक हमारे कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए किसानों को कर्ज देता है । किसान की जमीन लिखी जाती है लेकिन उस को नकद पैसा नहीं मिलता । कहा जाता है कि कौश नहीं देंगे, काईड में देंगे इसलिए कि मिडिल मैन का पेट बीच में भरता रहें । किसान की जमीन लिखी जाय, किसान मय मृद के कर्जा भ्रदा करे और व्यापारी उससे लाभ उठाए । क्या माननीय मंत्री जी से यह बात छिरी है, उत्तर प्रदेश के तीन एकड़ तक के लाखों किसान भूमि विकास बैंकों के द्वारा बेदखल किए जा रहे हैं । बेदखल हो चुके हैं और जमीन नीलाम हो रही है । किसलिए ? इसलिए कि उस को कौश रुपया नहीं मिला । पाबन्दी लगा दी कि फलां आयल इंजन खरीदा जायगा, फलां पम्पिंग सेट खरीदा जायगा । पम्पिंग सेट खेत तक पहुँचा लेकिन पानी की एक बूद किसान को नहीं मिली । कहीं कहीं पम्पिंग सेट भी नहीं है । बेक कट रहा है दुकानदार के नाम से और जमीन लिखी जा रही है किसान की और आप भी किसान की जमीन नीलाम हो रही है । हम देख रहे हैं बैठे बैठे । हम बेबस पा रहे हैं अपने को । उस की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि हैं । रिजर्व बैंक या बूखरे बैंक जिन के माध्यम से कोऑपरेटिव बैंकों को लोन दिया जा रहा है क्या उन की ऐसी परम्पराएं हैं जिन को हम तोड़ नहीं सकते, नबे नियम नहीं बना सकते ? नियम कानून इंसान के लिए हैं, इंसान कानूनों के लिए नहीं है । आज मुझे तकलीफ होती है । किसी दिन का अखबार उत्तर प्रदेश का खाली नहीं होता जिस में मौलाना होने वाली जमीनों की सूची प्रकाशित न हो ।

कृषि के क्षेत्र में मुझे वह कहते हुए तकलीफ होती है कि भाषासी के बाद हम कोई इस तरह का जोश काम नहीं कर सके कि जो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में जो बिचौलिये हैं जो सब से बड़े हिस्से के मालिक होते हैं, उन के मुनाफे की दर को कम कर सके । आज उत्पादक किसान है और उपभोक्ता साधारण लोग हैं । लेकिन उत्पादक को पूरा मूल्य नहीं मिलता है और उपभोक्ता की जेब से ज्यादा जाता है । बीच में व्यापारी वर्ग बराबर मोटा होता चला जा रहा है दोनों का खून पी पी कर । माननीय मंत्री जी योग्य वकील भी हैं और शायद छोटे किसान भी अपने को बताते हैं छ सात या आठ एकड़ के और हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि पुनिया में एक अच्छे किसानों के प्रान्त पंजाब में आते हैं । मैं उन से यह उम्मीद कल्ला कि मिडिल मैन का जो फायदा है उस का रेट कम किया जाय ; ऐसे रास्ते निकाले जाय जिस से मिडिल मैन जो बेकार बैठे हैं, जो सिर्फ अपनी बुद्धि लगाते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं, हमारी जेबों को काटते हैं, एयर कंडीशड कमरों में रहते हैं, ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं और रूई के गद्दे की जगह अब इनलप पिछों बिछाते हैं उन के मुनाफे की दर में कुछ कमी हो । उस के लिए ऐसे रास्ते वह निकालें । तब वह किसानों का हित कर सकेंगे । (अव्यवधान) इनकम टैक्स जो श्री बेते हैं उन में शायद एक दो प्रतिशत हों जो सही रिटर्न भरते हों । यह तो हमारे पूरे समाज का दोष है ।

एक बार मैं यह कहना चाहूँगा बाई-पीड़ियों के लिए जो नदियों के किनारे हैं । वहाँ लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है । भारत सरकार को चाहिए कि उस जमीन पर फारेस्ट लगवाई जाय । मंत्री जी बड़े दृष्टिक हैं उनसे मेरी बात हुई है,

वह फारेस्ट का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनका साथ नहीं दे रही है। वे रुपया देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको खर्च नहीं करती है। मैं तो इस नज़ीरे पर पढ़ूँगा हूँ कि वह अगर सही माने में वनों का विकास चाहते हैं तो नदियों के किनारे की जमीन पर पेड़ लगवा दें। मैं भी उन पीड़ितों में से एक हूँ, इसलिए उनकी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ। आपकी थोड़ी कोशिश हो जाए तो वे अपनी जमीन आपको दे देंगे। आप उनको 70 फीसदी अच्छी जमीन ही कही बाहर देकर बसा दें। इस प्रकार से हर साल बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर जो हाहाकार मचता है उससे भी आपकी मुक्ति मिल जायेगी।

अन्त में मैं बिनोबा जी के विचारों से शत प्रतिशत सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में गोरक्षा मनुष्य के जीवन की रक्षा है। पशु सम्पत्ति के संरक्षण की ओर जितना ध्यान सरकारों का जाना चाहिए या उतना ध्यान अभी तक नहीं गया है। सरकार ने डेरी डेवलपमेंट के लिए कुछ रुपये का प्रावधान किया है लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। अभी तक किसान के नाम पर रुपये का दुरुपयोग किया गया है। किसानों के नाम पर व्यापारियों ने रुपया निकाला है। किसानों के नाम पर ट्रैक्टर के लिए और बड़ी बड़ी मशीनों के लिए ख़या निकाला गया है। आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि के क्षेत्र में छोटे छोटे लोगों को प्रोत्साहित किया जाय, उन्हीं के नाम पर ख़रू निकले और उन्हीं को शाय तथा सैंतें दी जायें। हमारे मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटे किसान की शाय कितनी दुष्कर होती है उसनी बड़े किसान की शाय नहीं हो सकती है। कारण यह है कि छोटा किसान शाय

को अपने परिवार का एक सदस्य मानकर उसकी सेवा करता है लेकिन बड़े किसान के पास उस प्रकार से उसकी सेवा नहीं हो सकती है। मेरा सुझाव है कि गोधन के संरक्षण के लिए आप पुनः एक कमेटी का निर्माण करें जो कि इस बात पर विचार करे कि किस तरीके से गोधन की रक्षा तथा विकास किया जा सकता है। हमारे देश में गोधन की रक्षा के बिना खेती चल नहीं सकती है। बिना बैलों के खेती नहीं की सकती है। आप मशीनरी को जितना इन्ड्रोज्यूस करना चाहते हैं करें लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या का वह कोई इलाज नहीं है। यदि मशीनों को आपने ज्यादा बढ़ावा दिया तो इस देश के बहुत से हाथों को आप बेकार कर देंगे। इस देश में खेती का सहारा बैल ही रह सकते हैं। इसलिए बैलों के विकास के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है वह होना चाहिए। आप अच्छे से अच्छे सांडों की व्यवस्था करें और सुरक्षित चरागाह बनायें। गोधन के विकास के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जाना चाहिए।

समावृत्ति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री श्री ज्ञान : एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों की जमीनें नीलाम की जा रही हैं, आप मेहरबानी करके काइन्स की जो वाबन्दी है उसको हटाइये और कैश में दिलवाइये। आज कोऑपरेटिव तथा भूमि विकास बैंक किसानों की जमीनों को नीलाम करा रही हैं। जमीनें छोटे किसानों के हाथों से निकल कर बड़े किसानों के पास जा रही हैं।

श्री ज्ञान साहिब बिजे पांडित (कोपरगांव) : चेबरमैन साहब, कृषि मंत्रालय की मांगों पर भी जवाब हो

[श्री बाबा साहिब बिबे पाटिल]

रही है उसको मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं तीन चार बातों की धीरे धीरे आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह कि खेत मजदूरों के लिए कोई ठोस प्रोग्राम आपको चलाना पड़ेगा। गांवों से जिस प्रकार से छोटे किसान हैं उसी प्रकार से खेत मजदूर भी हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। आप जो रिम्यूनरेटिव प्राइस की बात करते हैं उनके अन्तर्गत खेत मजदूर को भी शामिल किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से आप एक इण्डस्ट्रियल वर्कर की मजदूरी का हिसाब लगाते हैं उसी प्रकार से कैंसकुलेट करके खेत मजदूर की मजदूरी भी निर्धारित की जानी चाहिए। तब इस प्रकार का झगड़ा नहीं उठेगा कि खेत मजदूर को कितना पैसा दिया जाये, कितना न दिया जाये और खेत मजदूर को दाम ठीक मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि इस देश में हर साल बाढ़ें आती हैं। जैसा कि यहां पर कहा गया, 50 करोड़ में केवल 2 करोड़ ही खर्च किया गया। मेरा निवेदन है कि इस देश में अनाज काफी पैदा हुआ है जिसको रखने की समस्या बनी रहती है। कुछ अनाज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अनाज यदि जल्द इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसके नष्ट होने का डर है। इसलिये जहाँ-जहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, उस के हिसाब से जैसे महाराष्ट्र में एम्प्लायमेंट गारन्टी स्कीम चली, पी० एल० 480 में "फूड फार वर्क" स्कीम चली, उसी तरह की स्कीम अनाज के द्वारा चलायें। आज हमें नदियों पर बांध बनाने हैं, नहरें बनानी हैं, फ़ूड कंट्रोल करना है—हमारे पास नकद पैसे की कमी है, हम अनाज व कर उन रकमों को चला सकते हैं

धीरे इस तरह से अनाज एम्प्लायमेंट गारन्टी का काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ यू०पी० और बिहार में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ इस तरह के काम मजदूर लोग कर सकते हैं और उन को अनाज दिया जा सकता है और बेरोजगारी मिटा सकते हैं।

अब मैं इरिगेशन की बात कहना चाहता हूँ—हम छोटे किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस देना चाहते हैं—यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन के पास अनाज-इकानामिक होल्डिंग है उन की कीमत को कंटेनर करेगे। जो छोटा किसान है उस को कंपिटल-एक्सपेंडिचर तो पूरा करना पड़ता है, लेकिन उतना पैसा खर्च करने के बाद जो रिटर्न आती है, वह कम है, उस की कास्ट-आफ-प्रोडक्शन बढ़ जाती है, यहाँ तक कि रिम्यूनरेटिव प्राइस से भी ज्यादा हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे किसानों को आप जो लोन देते हैं, वह विदम्राउट-इन्टरस्ट हैं और उस की रिकवरी 5 या 10 साल में नहीं, बल्कि 25 साल में होनी चाहिए, ऐसा कर के ही हम छोटे किसान को बचा सकते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में लोन देने का काम चल रहा है, लेकिन सप्लिडी और लोन का बैंक और गवर्नमेंट एजेंसीज से तालमेल नहीं बैठता है। जब डी०पी०ए० पी० का डेप्री का प्रोग्राम लागू करते हैं और उस में 3000 रु० की जरूरत है तो उस में उस को 1000 रुपया दिया जाता है—बाँकी रुपया वह कहाँ से लायेगा, नतीजा यही होता है—जिस तरह से पहले यह रुपया खाने-पीने में चला जाता था, वैसे ही आज भी चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्कीम पर पुनर्विचार करें। जो भी स्कीम बनाई जाती है—उस को सारे देश के लिए एक ही पटन पर बना दिया जाता है, लेकिन हर जगह की एथो क्लाइमेटिक कंडीशन व अवररत प्रलेग-अलम ही होती है। एक ही तरह की स्कीम बिहार, बंगाल, अंध्र-

राष्ट्र, कर्णाटक के लिए कर्मे चल सकती है और यही कारण है कि हमारी स्कीमे ठीक तरह से चल रही रही है । एक तरफ भ्रष्टकानामिक होल्डिंग है, दूसरी तरफ रैन-कोड एरियाज है जहाँ नहरे नहीं हैं—ऐसे इलाकों के लिए विद-आउट-इन्टरैस्ट लोन देने से उन को राहत मिल सकती है । मैं मन्त्रिणी का दिया जाना बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस में 500 रुपये दिया जाना है, 200 तुम ले लो, 300 मुझे दो, किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता । यदि विद-आउट-इन्टरैस्ट लोन देंगे तो उस का परिणाम अच्छा निकलेगा ।

एग्रीकल्चर क्रेडिट की जितनी जरूरत है, उतना नहीं मिलता है । पूरा पैसा न मिलने के कारण किसान जो क्रेडिट उत्पादन के लिए लेता है वह उस में नहीं लगता, कभी उस की लड़की की शादी में खर्च हो जाता है, कभी दूसरे कामों में खर्च हो जाता है । इस लिए कन्जम्पटिव-फाइनेंस क्रेडिट कर्परेटन को बदलना चाहिए । इस के लिए इन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट एप्रोच होना चाहिए । जब तक इस दृष्टि से इस को नहीं देखेंगे—तब तक कुछ नहीं बनेगा । जिम तरह से आप इण्डस्ट्रीज को लोन देते हैं, उसी तरह से किसानों का भी इन्स्टिट्यूट एप्रोच को ध्यान में रख कर कर्जा देना चाहिए ।

अब मैं नैचुरल कलेमिटीज की तरफ आता हूँ—बाढ़ आती है, सूखा आता है—किसान क्या करे ? मैंने सुना है गुजरात में और महाराष्ट्र में फ़्लू-इन्फ़्लूएंजा के बारे में कुछ किया जा रहा है । हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता आने के पहले से हम लोग फ़्लू-इन्फ़्लूएंजा की आबाध जगा रहे हैं । इस समय अनरण इन्फ़्लूएंजा कम्पनी ने जो चबन-मेंट की कम्पनी है, फ़ॉर-मैन का इन्फ़्लूएंजा शुरू किया है, फ़ायर कन भी इन्फ़्लूएंजा कहते हैं । लेकिन अब नैचुरल कलेमिटी आती है—तो किसान की क्षमता खराब हो जाती है ।

वह बेकार हो जाता है । इस लिए कम से कम उन एरियाज में आप को फ़्लू-इन्फ़्लूएंजा की स्कीम को लागू करना चाहिए । मैं यह उचित समझता हूँ कि स्टेट और सेंटर दोनों फ़्लू इन्फ़्लूएंजा कानून आप बना दें क्योंकि ऐसा हुआ तो उस में दोनों की हिस्सेदारी होगी । अगर खाली सेंटर का फ़्लू इन्फ़्लूएंजा कानून आप बनाते हैं, तो स्टेट उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगी और झूठा हिसाब बना कर ज्यादा पैसा लेगी । सूखे और बाढ़ का रिकार्ड ठीक नहीं रखेगी । इस लिए स्टेट और सेंटर दोनों मिल कर फ़्लू इन्फ़्लूएंजा का कानून बनाएँ, तो मेरे ख्याल से यह किसानों के लिए अच्छा होगा ।

एग्रीकल्चर कोमोडीटीज की प्राइसेज के बारे में मेरा सुझाव यह है कि नेशनल कमिशन भान एग्रीकल्चर प्राइसेज पर्सनिट और लीगल बाडी हानी चाहिए और यह नहीं होना चाहिए कि हमारे दिल में धाया तो कुछ रिक्मेन्डेशन, जो मान लिया और दिल में नहीं आया तो न माना । आप ने देखा कि गन्ने के बारे में एग्रीकल्चर प्राइसेज कमिशन ज्यादा कीमत देना चाहता था लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इससे इनफ़्लेशन बढ़ेगा । हिन्दुस्तान में हमेशा यह रहा है कि जब भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स के दाम बढ़ते हैं और उसके बाद जब भी एग्रीकल्चर की प्राइसेज बढ़ाने की बात आती है, तो यही कह दिया जाता है कि इससे जबरदस्त इनफ़्लेशन बढ़ेगा और यह समस्या हमारे सामने आ कर खड़ी हो जाती है । इससे किसान को भारी नुकसान होता है ।

दूसरी तरफ़ अभी टैक्सटाइल्स की बात आई तो कंश सबसेसीडी, जूट इण्डस्ट्री की बात आई तो एक्सपोर्ट सम्सीडी दे दी गई लेकिन जो जूट को पैदा करने वाला किसान है, उस को क्या मिलता है ? जब इण्डस्ट्री की बात आती है कह दिया जाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो इनफ़्लेशन बढ़ेगा ज्यादा बढ़ेगा और मिनिस्टर्स का फ़िर बेदाक होया, एम०

[श्री बालाभाहिब बिबे पाटिल]

पी० का घेराव हो जाएगा और अधिकारी वर्ग का घेराव हो जाएगा लेकिन हमारा जो किसान है वह संगठित नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि किसान के लिए नान-पोलीटीकल आर्गेनाइजेशन हिन्दुस्तान में नहीं है। अगर किसान संगठित हो जाए, तो फिर वह गवर्नमेंट नहीं चलने देगा। वह असंगठित है, तो उसको जब रेग्युलरेटिव प्राइम देने की बात आती है, तो कह दिया जाना है इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा।

मैंने शुरू में ही एग्रीकल्चरल कंडीशन की बातें कही हैं। हर एक स्टेट में वे अलग अलग हैं। इसलिए हर स्टेट में एक स्टेट एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन बनाया जाए और सेन्ट्रल एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन से कोऑर्डिनेशन कर के यह देखा जाए कि कास्ट आफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा है, तो कैसे उस को सहायित दी जाए, इन्स्ट्रुमेंट्स के फार्म में दी जाए या इन्स्टालमेंट्स के फार्म में दी जाए या किसी और दूसरे तरीके से यह हो सकता है। उत्पादन ज्यादा हो, तो क्या किया जाए। अभी पंजाब में हम ने देखा कि भालू का ज्यादा उत्पादन हो गया तो कोई ग्राहक लेने वाला नहीं है। अगर उत्पादन कम होता है तो ईश्वर के प्रार्थना करते हैं कि सूखा न पड़े। अगर सूखा पड़ जाता है तो कौन से किसान हैं, जिन को पैसा मिलता है। जहां नहरे हैं, जहां ट्यूबवेल्स हैं, वहीं के किसानों को यह मिल जाती है। जहां का किसान बरसात पर डिपेन्ड करता है, उस को क्या मिलता है? उस को तो मछली ही करनी पड़ती है लाचारी में। हिन्दुस्तान में जो बेकारी बढ़ रही है, उस बेकारी के साथ लाचारी भी बढ़ गई है। यह गंभीर समस्या है इस से कोई रेवोल्यूशन होने वाला नहीं है। एकोनामिक प्रोग्राम को कोई इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है। एकोनामिक प्रोग्राम को ले कर कुछ ठोस प्रोग्राम करेंगे तो कोई रेवोल्यूशन हो सकता है। समाजवाद और शरीरी, मुझे यह लगता है, सिर्फ भाषण के विषय रह गये हैं, काम के

विषय नहीं रह गये हैं। काम के लिये खाली बात बताते हैं। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जब सब पोलीटीकल पार्टी वही काम करती हैं, तो हम को क्या सोचना है? हम क्या चाहते हैं, हम कहां तक जाना चाहते हैं, यह हमें सोचना चाहिए। ये जो रीजनल इम्बैलेसेज हैं, ये कैसे मिटावेंगे। इस वक्त पर एकड़ कास्ट डेम क्री कही 10 हजार रुपये आती है और कही 2 हजार रुपये आती है। इस तरह के इम्बैलेसेज को दूर करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और जहां पर पैसा नहीं है, वहां पर आप फूड फार वर्क का प्रोग्राम क्यों नहीं लगाते। जब तक एग्रीकल्चर प्राइसेज के बारे में आप कुछ ख्याल नहीं करेंगे, कुछ देखेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जहां तक एग्रीकल्चरल इनपुट्स का सवाल है, आप ने 50 परसेंट रिडक्शन कर दिया, बड़ी अच्छी बात हो गई लेकिन रेल के किराये को बढ़ाने से जो छूट मिली, वह एक रुपये बोरी की ही मिली। रेल का किराया काफी बढ़ गया और इस का असर एग्रीकल्चर इनपुट्स पर भी पड़ा। एग्रीकल्चर इनपुट की कीमत कम होनी चाहिए। सेन्टर के कानून से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है। उसको नुकसान नहीं होने दिया जाता है। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि जब आप इंडस्ट्री बाजों को सस्ती बिजली देते हैं किसान को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिल सकती है। आप इंडस्ट्री को शुरू में दो साल तक 50 परसेंट कंसेशन पर बिजली देते हैं फिर किसान को दो-तीन साल सस्ती बिजली क्यों नहीं देते? किसान को दो या तीन साल ग्रेस पीरियड बिजली में देना चाहिए। आप उसे सस्ती बिजली इसलिए नहीं देते कि उसका कोई बोलने वाला नहीं है। हम गांवों से चुन कर आये हैं। यहाँ बहुत से लोथ किसानों के बैठे हैं। किसान हमारे पास गांव में घर-कबास्त से कर आता है और हम से वह सब वापस कहता है। जब तक हम किसानों को हथि वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आग की से अक्वार्ड नहीं आती।

अभी हमारे दोस्त ने कहा कि किसान की जमीन की नीलामी हो रही है। हमारा क्रेडिट लाइन पूरा खोर हो गया है। इस के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनके खिलाफ कोई लीगल कार्यवाही करना मैं पसंद नहीं करता। जब इन्डस्ट्रीज से पैसा बसल नहीं होता तो हम कहते हैं कि कारखाने वाले को रिट्रैक्ट कर दो, उसके कारखाने का माडरनाइजेशन करो। क्यों? क्योंकि वह पैदा करता है। क्या किसान पैदावार नहीं करता है? जो करोड़ों रुपये का इकम टैक्स, सेल्स टैक्स छिपाते हैं उनको आप शाबाशी दें, उनके लिए इम्पोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स करें। बेचारा किसान जो भूखा मरता है उसे जिन्दा रहने के लिए रेग्युलेटिव प्राइस नहीं देगे। यह कोई आपके लिए गौरव की बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी अग्निकोशिका होल्डिंग्स हैं उन पर से सब कर्जा, लगान माफ होना चाहिए। किसी भी हालत में उनसे कानून के मुताबिक कोई रिकवरी नहीं होनी चाहिए। किसान को अपराधी मत समझिये। हम किसान से चुनकर घाते हैं, हम किसान के साथ काम करते हैं। हमें किसानों के लिए सोचना चाहिए।

इस साल चीनी का डिक्ट्रोल हुआ। किसान को गन्ने की कीमत शुरू में खण्डसारी के लिए पांच-छः रुपये बिन्टल मिली। अब चीनी का बासंटी रीसीज का मिनेनाइजेशन हो गया है। अब 12 रुपये बिन्टल दाम है। अगले साल चीनी चार या पांच रुपये किलो से कम नहीं बिकेगी क्योंकि पाकिस्ती ठीक नहीं। ये इन्डस्ट्री जैसे आपस में मिल कर शार्टेज क्रियेट करते हैं। जब वे शार्टेज क्रियेट करते हैं तो उन को ज्यादा दाम मिलता है। वे देखते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा होने से उनको दाम का दाम ठीक से नहीं मिलेगा। जब ज्यादा शार्टेज होगी तो ज्यादा किसान मिलेगा और मुद्रा का भी ज्यादा मिलेगा। किसान दैर नहीं कर सकता।

जब बरसात हो गयी तो किसान ने बोना शुरू कर दिया। जब गन्ने की ज्यादा पैदावार हुई तो गन्ने का दाम घट गया। सरकार ध्यान नहीं देती किसान उसका स्टॉक भी नहीं कर सकता है। जब कभी बरसात नहीं होती, तो सूखा पड़ जाता है और सूखे के कारण उत्पादन कम हो जाता है और चीनी का दाम बढ़ जाता है। सरकार को इस बारे में कोई लागू टर्म पालीसी बनानी चाहिए, यह जो एडहोकिजम की पालीसी चली आ रही है इससे किसान को घाटा होता है। सम्राट कमेटी का इन्वेस्टिव कहा बे-पता हो गया, क्या फैसला होगा? ज्यादा चीनी का उत्पादन होगा तो सरकार ने फैसला कर दिया अभी नए कारखाने नहीं खोलेगे। अब अगले साल में चीनी कम पैदा होगी। अब सरकार को चीनी मिल के लिए नए लाइसेंस देने पड़ेंगे व सरकार देगी। ऐसी हाफ-हार्टेड व एडहोकिजम पालीसी से देश का और किसान का हित कैसे होगा? लागू-टर्म पालीसी होनी चाहिए।

प्लानिंग कमीशन ने जो कूरल डवलप-मेंट, इन्टेग्रेटेड कूरल डवलपमेंट, ब्लॉक डवलपमेंट की स्कीम बनायी है उससे गांवों का पूरा विकास नहीं हो सकता है। इससे साब से बहुत कम किसानों का भी विकास नहीं हो सकता है। यह हाफ-हार्टेड पालीसी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लानिंग कमीशन ने बालिस्ट्री एजेन्सीज को एम्प्लाय करने की रिकमण्डेशन की है ज. कि ब्लॉक का डवलपमेंट करेगी। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप बहुत सारी बालिस्ट्री एजेन्सीज को पैसा देने जा रहे हैं।

अब तो आपने बालिस्ट्री एजेन्सीज को भी कहा है कि वे ग्रामे ग्रामे और इस तरह के कामों को करें। सरकार स्वयं इन कामों के करने में क्यों असमर्थ है और बालिस्ट्री एजेन्सीज को ग्रामे लाने की क्या जरूरत है उसको मैं समझ नहीं पाया हूँ। बालिस्ट्री एजेन्सीज आप से और भी केसिज की मांग करेगी और आपको आप को देना पड़ेगा। पैसा सरकार का होगा

[श्री बाकायलसिंह बिजे भटल]

और काम उन का बनेगा। आपको स्वयं पूर्ण बनना चाहिए। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होते हुए भी क्या कारण है कि आप स्वयं में पूर्ण नहीं है और वॉलेंट्री एजेन्सीज इंस्टीट्यूट करने की क्या जरूरत थी। अगर आप स्वयं में पूर्ण नहीं है तो आप को पूर्ण बनना चाहिए। अगर सरकार अपने कार्यक्रमों को इम्प्लिमेंट करने के मामले में दूसरी एजेंसिज पर निर्भर करेगा तो देश का भविष्य उजड़चल नहीं हो सकेगा और प्रगति धीमा नहीं हो सकेगी और इसका नतीजा यह होगा कि गरीब गरीब रहेगा और उसका उद्धार नहीं हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ में आगा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं और जो कुछ कहा है उस पर मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करेंगे और जहां तक हो सकेगा, उन को स्वीकार करेंगे।

श्री बाबू सिंह (बाका) : मुझे लग रहा है जैसे बिरोधी दलों ने जब कृषि की गांवों पर चर्चा हो रही थी तो सदन का बहिष्कार ही कर रखा है। एक भी बिरोधी दल का सदस्य सामने मौजूद नहीं है। कृषि के प्रति ये कितने उदासीन थे इसका इससे पता लग जाता है और यही कारण है कि आज तक कृषि का विकास देश में नहीं हो सका है। बटिस्पेशल कोर्ट बिल पर बहस होती और इन को अनुमति होती तो ये और लोगों को और उनके बेटों को भी ले आते।

कृषि के विकास, किसान की उन्नति के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। सहानुभूति के दो शब्द कह

देने से किसान की किस्मत बचन नहीं सकती है, कोई गुनाहना नारा दे कर उसके मसिबक के पसीने को पीछा नहीं जा सकता है। जब तक सूख-बूख के साथ काम नहीं लिया जाएगा देश का भला नहीं हो सकेगा, किसान का भला नहीं हो सकेगा। हमारा कृषि प्रधान देश है। पहली आवश्यकता कृषि को सुधारने के लिए सिंचाई की होती है, दूसरी खेती के काम में आने वाले साधनों की कीमतें कम हो, यह होती है और तीसरी यह होती है कि किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिले। इन तीनों पर ध्यान दिया जाए तो किसान की दशा आसानी से सुधर सकती है, कृषि का विकास हो सकता है। देश में 140 करोड़ हैक्टर भूमि ऐसी है जिस में सिंचाई हो सकती है। लेकिन आज तक तीस साल की आजादी के बाद भी केवल 34 करोड़ हैक्टर में ही हम सिंचाई कर पा रहे हैं। यह सही है कि देश में आज भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। लेकिन जो हम यह चाहते हैं कि हमारी धरती सोना उगले वह यह कैसे उगल सकती है जब तक यह प्यासी रहती है। हमारी धरती प्यासी है और अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करके हम यह आशा कर सकते हैं कि वह सोना उगले। इसके लिए सब से पहली आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में बिजली का विस्तार हो, पम्प सैट लगें और छोटे छोटे बांध बना कर उन में से नहरे निकाली जाएं। तभी कृषि का विकास हो सकता है।

समाप्ति महोदय : आप अगली बार जारी रहें।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday April 11, 1979/Chaitra 21, 1901 (Saka)